कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सागर (म0 प्र0)

विषय :– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के ''बी ''अंतर्गत प्रकाशित की जाने वाली जानकारी ।

––0––

बिन्दु क्रमांक 1 :– जानकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय से प्रदान किया जाना है ।

बिन्दु क्रमांक 2 :– जानकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय से प्रदान किया जाना है ।

बिन्दु क्रमांक 3 स्वरोजगार योजनाओं का कियान्वयन :–

– प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं दीनदयाल रोजगार योजना
– स्वरोजगार प्रकोष्ट में आवेदन पत्र उपलब्ध कराना
– स्वरोजगार प्रकोष्ठ में आवेदन पत्र पूर्ण कराने हेतु मार्गदर्शन
आवेदन पत्र प्राप्त कर पावती देना
पंजी में इन्द्राज एवं परीक्षण
टास्कफोर्स समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करना
टास्कफोर्स समिति के निर्णय को प्रदर्शिति करते हुये प्रकरण बैकों को प्रेषित करना
बैक ऋण स्वीकृति पश्चात उद्यमी विकास प्रशिक्षण प्रदान कराना तथा दीनदयाल रोजगार योजना में वांछित मार्जिन मनी सहायता देना
स्थापित इकाई की मानीटरिंग
– **रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/जनजाति स्वरोजगार योजना**
स्वरोजगार प्रकोष्ट में आवेदन पत्र उपलब्ध कराना
स्वरोजगार प्रकोष्ठ में आवेदन पत्र पूर्ण कराने हेतु मार्गदर्शन
आवेदन पत्र प्राप्त कर पावती देना एवं साक्षात्कार की सूचना देना
परामर्श एवं चयन समिति द्वारा साक्षात्कार
चयनित हितग्राही को अभिभावक नियुक्त कराना
आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्रदान कराना
प्रशिक्षण के दौरान ही पात्रतानुसार ऋण आवेदन तैयार कराना
प्राप्त ऋण आवेदन बैकों को अनुशांसित
ऋण स्वीकृति उपरान्त वांछित मार्जिन मनी उपलब्ध कराना
स्थापित इकाई की मानीटरिंग
– **आदिवासी वित्त विकास निगम एवं पिछडा वर्ग वितत विकास निगम की योजना**
निगम मुख्यालय से आबंटन/ लक्ष्य प्राप्त होने पर
आवेदन पत्र प्राप्ति हेतु विज्ञापन / सूचना जारी करना
आवेदन पत्र प्राप्त करना
चयन समिति के समक्ष प्राप्त आवेदन प्रस्तुत करना
चयनित हितग्राहियों की सूची निगम मुख्यालय को प्रेषित करना
निगम मुख्यालय से ऋण स्वीकृति आदेश प्राप्त करना
स्वीकृति आदेशानुसार हितग्राही से औपचारिकताओं की पूर्ति कराना
स्थल निरीक्षण कराना
संपूर्ण रिपोर्ट निगम मुख्यालय को देना
निगममुख्यालय से राशि प्राप्त करना
स्वीकृति आदेश अनुसार ऋण वितरण करना
– **उद्योग स्थापना एवं सुविधायें :–**

– **प्रस्तावित पंजीयन**
आवेदन पत्र पूर्ण कराने में मार्गदर्शन
पूर्ण आवेदन सिंगल विण्डो में प्राप्त
लघु उद्योग कक्ष (प्रस्तावित पंजीयन कक्ष) द्वारा जारी

– **स्थायी पंजीयन**
पूर्ण आवेदन सिंगल विण्डो में प्राप्त
नोडल अधिकारी के माध्यम से निरीक्षण
महाप्रबंधक से आदेश प्राप्त करना
लघु उद्योग कक्ष द्वारा महाप्रबंधक के हस्ताक्षर से प्रमाण–पत्र जारी

– **भूमि/शेड आवंटन**
सिंगल विण्डो में पूर्ण आवेदन प्राप्त
अधोसंरचना विकास कक्ष भूमि/शेड उपलब्ध होने की स्थिति में
आशय–पत्र जारी
आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त आवंटन आदेश जारी

– **पटटाभिलेख का निष्पादन**
सिंगल विण्डो में प्राप्त पटटाभिलेख
अधोसंरचना विकास कक्ष में परीक्षण/मिलान उपरान्त
07 दिवस की अवधि में निराकरण/निष्पादन

– **विद्युत कनेक्शन हेतु अनुशंसा**
सिंगल विण्डो में पूर्ण आवेदन प्राप्त
लघु उद्योग कक्ष द्वारा अनुशंसा पत्र तैयार करना
महाप्रबंधक द्वारा तत्काल अनुशंसा करना

– **बैंक मियादी ऋण/कार्यशील पूंजी अनुशंसा**
सिंगल विण्डो में पूर्ण आवेदन प्राप्त
नोडल अधिकारी द्वारा मूल्यांकन
ऋण कक्ष में 03 दिवस में निराकरण/अनुशंसा

– **राज्य लागत पूंजी अनुदान**
सिंगल विण्डो में पूर्ण आवेदन प्राप्त
वित्तीय सहायता कक्ष नामांकित नोडल अधिकारी द्वारा अनुशंसा
जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा स्वीकृति का अनुमोदन
महाप्रबंधक द्वारा स्वीकृति आदेश 30 दिवस में
आवंटन उपलब्ध होने पर वितरण कार्यवाही

– **प्रदूषण संबंधी 506 प्रकार के उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण–पत्र**
सिंगल विण्डो में पूर्ण आवेदन प्राप्त
लघु उद्योग कक्ष द्वारा परीक्षण
प्रकरण का निराकरण महाप्रबंधक स्तर से तत्काल

– **प्रदूषण निवारण मण्डल को अनुशंसा**
सिंगल विण्डो में पूर्ण आवेदन प्राप्त
लघु उद्योग कक्ष द्वारा परीक्षण उपरांत
प्रकरण का निराकरण महाप्रबंधक स्तर से 03 दिवस में

– **परियोजना प्रतिवेदन लागत प्रतिपूर्ति**
सिंगल विण्डो में पूर्ण आवेदन प्राप्त
वित्तीय सहायता कक्ष द्वारा परीक्षण उपरांत
नामांकित नोडल अधिकारी का निरीक्षण/ सत्यापन

जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा अनुमोदन
महाप्रबंधक द्वारा 30 दिवस में स्वीकृति आदेश जारी करना
आवंटन उपलब्ध होने पर वितरण की कार्यवाही

– **<u>ब्याज अनुदान</u>**

सिंगल विण्डो में पूर्ण आवेदन प्राप्त
वित्तीय सहायता कक्ष द्वारा परीक्षण उपरांत
नामांकित नोडल अधिकारी का निरीक्षण/ सत्यापन
महाप्रबंधक द्वारा 07 दिवस में स्वीकृति आदेश जारी करना
आवंटन उपलब्ध होने पर वितरण की कार्यवाही

बिन्दु क्रमांक 4 :– उसके कृत्यों का के निर्वहन के लिये उसके द्वारा मानदण्ड प्रतिमान निश्चित करना –

क्र.	कार्य/गतिविधि/योजना का नाम	प्रभारी/निहित अधिकारी	निपटारे की समय सीमा
1.	प्रस्तावित पंजीयन	प्रबंधक	तत्काल
2.	स्थाई पंजीयन	महाप्रबंधक	7 दिवस
3.	भूमि शेड आवंटन प्रक्रिया (भूमि शेड उपलब्ध होने की स्थिति में)		
	(अ) आशय पत्र जारी करना	महाप्रबंधक	तत्काल
	(ब) आवंटन आदेश जारी करना (आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत)	––''–––	तत्काल
4	पट्टा अभिलेखों का निष्पादन	––''–––	7 दिवस
5.	विद्युत कनेक्शन हेतु अनुशंसा	––''–––	तत्काल
6.	बैंक मियादी ऋण कार्यशील पूंजी हेतु अनुशंसा	––''–––	3 दिवस
7.	स्वीकृति पत्र		
	(अ) राज्य लागत पूंजी अनुदान	––''–––	30 दिवस
	(ब) प्रवेशकर/विक्रयकर छूट – प्रमाण पत्र	––''–––	30 दिवस
8.	(अ) प्रदूषण संबंधी अनापत्ति प्रमाण–पत्र	––''–––	तत्काल
	(ब) प्रदूषण निवारण मंडल को अनुशंसा	––''–––	3 दिवस
9.	आई.एस.ओ. 9000	––''–––	30 दिवस
10.	परियोजना प्रतिवेदन लागत वापसी	––''–––	30 दिवस
11.	ब्याज अनुदान स्वीकृत	––''–––	7 दिवस
12.	प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं अन्य स्वरोजगार मूलक योजनायें		
	(अ) आवेदन का परीक्षण	स्वरोजगार कक्ष	7 दिवस
	(ब) बैंक स्वीकृति हेतु अनुशंसा	महाप्रबंधक	30 दिवस
13.	वाणिज्यकर सुविधा जिला स्तरीय के विरुद्ध प्रकरणों में अपील	राज्य स्तरीय समिति सदस्य सचिव	45 दिवस
14.	वाणिज्यकर सुविधा राज्य स्तरीय समिति के विरुद्ध प्रकरणों में अपील	राज्य अपीलीय फोरम सदस्य <u>अवर/मु.स.</u> प्र.सचिव वाणिज्य उद्योग	45 दिवस

निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही न होने पर संचालक लघु उद्योग को शिकायत की जा सकती है शिकायत के निराकरण की समय सीमा 15 दिवस है।

4.4 कार्य एवं योजना का वार्षिक लक्ष्य

क्र.	कार्य योजना का नाम	अवधि	लक्ष्य

1.	नवीन इकाई स्थापना	2005–2006	500 इकाई
	उपरोक्त में से		
–	रु. 5 लाख से अधिक पूंजी निवेश वाली इकाई	––''––	18 इकाई
–	अनु. जाति द्वारा स्थापित इकाई	––''––	113 इकाई
–	अनु. जाति द्वारा स्थापित इकाई	––''––	48 इकाई
2.	प्रधानमंत्री रोजगार योजना	2005–06	1061
3.	दीनदयाल रोजगार योजना	––''––	94 भौतिक
4.	रानी दुर्गावती योजना	––''––	163 भौतिक
	अनु.जन.जाति स्वरोजगार योजना		
5.	पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वित्त विकास	––''––	8 इकाई 200000
	निगम की रोजगार योजना		लाख
6.	आदिवासी वित्त विकास निगम	––''––	2 इकाई 2.60
	की स्वरोजगार योजनायें एवं नाबार्ड योजना		लाख
7.	राज्य लागत पूंजी अनुदान	––''––	आवंटन अप्राप्त
8.	परियोजना प्रतिपूर्ति अनुदान	––''––	आवंटन अप्राप्त
9.	ब्याज अनुदान	––''––	26000/– आवंटन
10.	उद्यमी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	2005–06	दो कार्यक्रम

4.5 उसके कृत्यों का निर्वाहन करने के लिए उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन था उसके कर्मचारियों/ कर्मकारों नियोजितों के द्वारा उपयोग किये गये नियमों, विनियमों अनुदेशों, मेनुअल्स और अभिलेख –

(i) लघु उद्योग पंजीयन की प्रक्रिया – पेज – 2 संलग्न

अपना लघु उद्योग कैसे पंजीकृत कराएँ

छठे दशक की शुरुआत में उद्योगों के लिए पंजीकरण योजना लागू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि आँकड़े किए जाएँ ताकि इन इकाइयों को प्रोत्साहन सेवाएँ दी जा सके। 1975 में पंजीकरण के लिए एकरूप शुरु करने का मार्गदर्शन जारी किया गया। उसके बाद 1989 में भी मार्गदर्शन जारी किया गया जिसमें अस्थायी तथा पंजीकरण के लिए कोडेड आवेदन पत्र का प्रारूप जारी किया ताकि सारे राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में एकरूपता से कम्प्यूटरीकरण में सुविधा हो। राज्य सरकारों ने आमतौर पर इन्हीं मार्गदर्शनों को स्वीकार कर लिया है। फिर भी कुछ पंजीकरण आवेदन पत्र में कुछ संशोधन किए हैं क्योंकि लघु उद्योग राज्य के ही विषय होते हैं। वे भी अपनी नीतियों को लागू के लिए पंजीकरण स्कीम का ही उपयोग करते हैं। यह भी संभव है कि कुछ राज्यों में सीडों में पंजीकरण स्कीम तथा राज्य पंजीकरण दोनों लागू हो।

(अ) पंजीकरण के लाभ

पंजीकरण की कोई कानूनी बाध्यता नहीं हैं। फिर भी इकाइयाँ आमतौर पर केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा दिये जानेवाले प्रोत्साहनों तथा सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करवाती हैं। केन्द्र सरकार निम्नलिखित प्रोत्साहन देती है :

(1) ऋण सुविधा (प्राथमिक क्षेत्र ऋण), ब्याज की विभेदी दरें (डिफरेशियल रेट आदि)।
(2) उत्पाद शुल्क छूट स्कीम
(3) प्रत्यक्ष कर कानून के अन्तर्गत छूट
(4) आरक्षण तथा विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम जैसी वैधानिक सहायता

(यह नोट किया जाना चाहिए कि बैंकिंग कानून, उत्पाद शुल्क कानून तथा प्रत्यक्ष कर कानूनों में लघु उद्योग को छूट अधिसूचना में शामिल कर दी गई है। वैसे वहाँ कई मामलों में इसकी परिभाषा दूसरे अंदाज से भी की जाती है। फिर भी आमतौर पर पंजीयक द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को लघु उद्योग के प्रमाण के रूप में माना जाता है।)

लघु उद्योगों के लिए राज्यों/केन्द्र–शशासित क्षेत्रों के, सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों के अपने पैकेज हैं। इस पैकेजों में औद्योगिक परिसरों के विकास, कर सब्सिडी, ऊर्जा शुल्क में सब्सिडी, पूँजी निवेश सब्सिडी तथा अन्य सहायता शामिल होती है। केन्द्र राज्य सरकारें दोनों अपने यहाँ पंजीकृत (चाहे वे कानून के अन्तर्गत हों या नहीं) इकाइयों के लिए प्रोत्साहन तथा सहायता व पैकेज लागू करती हैं।

(ब) पंजीकरण स्कीम के उद्देश्य

संक्षेप में ये निम्नलिखित हैं :

1. प्रोत्साहनों तथा सहायतों तथा सहायता पैकेज के लिए लक्षित लघु उद्योगों की गणना करना तथा उसकी सूची रखना।
2. इकाई को प्रमाणपत्र देना ताकि संरक्षण के लिए उसे कानूनी लाभ मिल सके।
3. आँकड़ों को जमा करना
4. लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र, राज्य तथ जिला स्तर पर नोडल केन्द्र स्थापित करना

(स) स्कीम की विशेषताएँ

स्कीम की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

- जिला उद्योग केन्द्र प्राथमिक पंजीकरण केन्द्र होता है।
- पंजीकरण स्वेच्छिक है, इसकी बाध्यता नहीं होती।
- राज्यों में दो प्रकार का पंजीकरण किया जाता है। पहले एक अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया जाता है। बाद में उत्पादन शुरू होने पर स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया जाता है।
- अस्थायी प्रमाणपत्र पाँच वर्षों के लिए वैध माना जाता है।

(द) अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र (पी.आर.सी.)

क. यह पूर्व संचालन अवधि के लिए दिया जाता है तथा प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अन्तर्गत वित्तीय संस्थानों/बैंकों से आवधिक ऋण (टर्म लोन) तथा कार्यशील पूँजी के लिए ऋण लेने में सहायक होता है।

ख. रिहाइश, जमीन आदि के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के लिए।

ग. विभिन्न संवैधानिक विनियामक संस्थाओं–मसलन प्रदूषण नियंत्र.ण बोर्ड, श्रम विनियोजन आदि से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उपयोगी।

(इ) स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र

निम्नलिखित प्रोत्साहन और छूट प्राप्त करने में सहायक होता है :

क. उत्पादन शुल्क में छूट

ख. आयकर में छूट तथ राज्य सरकार की नीति के अनुसार बिक्रीकर में छूट

ग. बिजली शुल्क आदि के लिए प्रोत्साहन तथा छूट

घ. निर्मित उत्पादों की बिक्री में सरकार द्वारा खरीद तथा मूल्य में प्राथमिकता

ड. लागू नीति के अनुसार कच्चे माल की उपलब्धता

(फ) पंजीकरण की प्रक्रिया

वर्तमान प्रक्रिया की मुख्य बातें ये हैं :

1. कोई भी इकाई पी.आर.सी. के लिए आवेदन कर सकती है बशर्ते कि उक्त उत्पाद (यानि अनुसूची 3 में शामिल सभी उत्पाद तथा लाइसेंसिंग एक्जेंम्पशन नोटिफिकेशन की अनुसूची 1 और 2 में जो उत्पाद शामिल नहीं हैं) के लिए औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत नहीं है।
2. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिया जाता है। मौके पर जाकर कोई जाँच नहीं की जाती और पी.आर.सी. तुरंत जारी कर दिया जाता है।
3. पी.आर.सी. पाँच साल के लिए वैध होता है। अगर उद्यमी इस अवधि में उद्योग नहीं लगा पाता तो वह नए सिरे से आवेदन कर सकता है।

4. इकाई द्वारा उत्पादन शुरू करने के बाद निर्धारित प्रपत्र (फार्म) में स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना चाहिए। इसे जारी करने के पहले निम्नलिखित बिंदुओं का मूल्यांकन किया जाता है :

   क. इकाई ने संवैधानिक अथवा प्रशासनिक निकाय जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से या औषधि नियंत्रण व्यवस्था के तहत ड्रग लाइसेंस तथा सभी आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल कर लिया है नहीं।

   ख. मूल्यांकन के समय इकाई स्थल प्रतिबंध (लोकेशनल रेस्ट्रिक्शन) का उल्लंघन कर रही या नहीं।

   ग. प्लांट तथा मशीनरी का मूल्य तथा सीमा के अंदर है या नहीं।

   घ. इकाई किसी औद्योगिक अंडरटेकिंग (नोटिफिकेशन के अनुसार) की सम्पत्ति, नियंत्रण या शाखा तो नहीं है।

(ग) गैर–पंजीकरण

यदि इकाई निम्नलिखित विनियमों का उल्लंघन करती है तो वह गैर–पंजीकृत हो सकती है :

1. निवेश की सीमा पार करने पर।
2. किसी ऐसे उत्पाद का निर्माण करना जिसके लिए औद्योगिक लाइसेंस या अन्य किसी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है।
3. यदि इकाई किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम के स्वामित्व, नियंत्रण तथा शाखा न बनने की शर्ते का उल्लंघन करती है।

(ड) अनुमोदन तथा अनुमति प्राप्त करना

प्रत्येक लघु इकाई को सभी लघु इकाई विनियमों का पालन करना होता है। इसमें विनियम, कर, पर्यावरण तथा कुछ उत्पादों के लिए अनुमति आदि शामिल हैं। इस खंड में इन अनुमोदनों तथा अनुमतियों को प्राप्त करने की पद्धति पर विचार किया गया है।

(अ) अनिवार्य लाइसेंस से छूट

औद्योगिक क्षेत्र के लिए लाइसेंस का मामला उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 के तहत 25 जुलाई 1991 को भारत सरकार द्वारा जारी लाइसेंस से छूट अधिसूचना के अन्तर्गत आता है।

लघु उद्योग के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आज 15 उत्पाद समूहों (जो प्रायः बड़े उद्योगों में ही बनते हैं) को छोड़कर किसी उत्पाद के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है।

फिर भी अगर कोई लघु उद्योग जिसमें 50 कामगार (बिजली से चलनेवाला उद्योग) या 100 कामगार (बगैर बिजली से चलनेवाला) रहें और वह उपर्युक्त वर्णित 15 उत्पाद समूहों में से कोई उत्पाद बनाये तब भी उस लघु उद्योग को किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इस शर्त के अनुसार भारत में कहीं भी लघु इकाई बिना किसी प्रतिबंध के स्थापित की जा सकती है। हाँ, इकाई को लोकेशन/भूमि उपयोग तथा प्रतिबंधों (जो देश के कानून के अनुसार होंगे) का पालन जरूर करना होगा।

(iv) परियोजना प्रतिवेदन प्रतिपूर्ति

मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
क्रमांक एफ 20–21/2005/बी/ग्यारह भोपाल, दिनांक 04.06.2005

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश

विषय :– परियोजना प्रतिवेदन प्रतिपूर्ति योजना।

मध्यप्रदेश की उद्योग संवर्धन नीति – 2004 एवं कार्ययोजना के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन के आदेश क्रमांक 14980/4443/11/ब दिनांक 9.11.1973 से जारी परियोजना प्रतिवेदन प्रतिपूति के बिन्दु–3 में निम्नुनसार संशोधन किया जाता है :–

1– दिनांक 1.4.2004 के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले उद्योगों को परियोजना प्रतिवेदन व्यय प्रतिपूर्ति निम्नानुसार देय होगी –

क्र.	उद्योगों की श्रेणी	परियोजना लागत का प्रतिशत	अधिकतम राशि रुपये
1.	लघु उद्योग	1.00 प्रतिषत	3.00 लाख
2.	वृहद एवं मध्यम उद्योग	0.5 प्रतिशत	3.00 लाख

2– इस योजना के अंतर्गत नवीन उद्योगों को प्रदत्त सुविधाएँ कतिपय उद्योगों को उपलब्ध नहीं होगी यथा, स्लॉटर हाउस, एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स (पल्प पर आधारित कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़कर), तम्बाकू एवं तम्बाकू पर आधारित उत्पाद, मदिरा, पान मसाला, गुटखा, परंपरागत उद्योग इत्यादि। (सूची राज्य शासन द्वारा शीघ्र जारी की जावेगी।) शासन द्वारा आवश्यक होने पर समय–समय पर यह सूची संशोधित की जायेगी।

3– पूर्व स्थापित उद्योगों द्वारा क्षमताविस्तार/डायवर्सीफिकेशन/तकनीकी उन्नयन पर यदि पूर्व में किये गये स्थायी पूंजी निवेश के न्यूनतम 50 प्रतिशत के तुल्य अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश किया जाता है तो ऐसी इकाईयों को अतिरिक्त क्षमता विस्तार/डायवर्सीफिकेशन/तकनीकी उन्नयन एवं पूंजी निवेश पर नई इकाईयों के सामान परियोजना प्रतिवेदन व्यय प्रतिपूर्ति की सूविधा दी जायेंगी। किन्तु अतिरिक्त स्थाई पूंजी निवेश की राशि 5.00 करोड़ से अधिक की होना अनिवार्य होगा, साथ ही इकाई द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता विगत 3 वर्षों में किये गये औसत उत्पादन से अधिक के अतिरिक्त उत्पादन पर ही सुविधा का लाभ दिया जायेगा। जिन इकाईयों द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं किया गया हो तो उन्हें विस्तार योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

4– उद्योग संवर्धन नीति – 2004 एवं कार्ययोजना अंतर्गत विशिष्ट उद्योगों जो निम्नानुसार है, को परियोजना प्रतिवेदन पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति की जावेगी :–

(अ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (मध्यप्रदेश शासन के पृथक आगम विभाग द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक 16.6.89–ग्यारह–ब दिनांक 17 जुलाई 1989 के एनेक्जर–III के अनुसार उत्पाद) सूची परिशिष्ट– 'अ' अनुसार

(ब) औद्योगिक एवं वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर) संदर्भित बीमार वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को प्रबंधन परिवर्तन के द्वारा अधिग्रहित कर अथवा क्रयकर पुनर्वासित करने पर बी.आई.एफ.आर. द्वारा परिसमापन इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन या मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा अधिग्रहित इकाईयों को क्रय/अधिग्रहित करने के पश्चात अन्य इकाई या कंपनी को विक्रय करने पर यदि पुनर्वासित इकाई के स्थायी पंजी निवेश में अधिग्रहणकर्ता/क्रयकर्ता द्वारा दिनांक 1.4.2004 को या उसके पश्चात किया गया नवीन पूंजी निवेश पूर्व पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत से अधिक होता है तथा इकाई द्वारा नया पूंजी निवेश हेतु परियोजना तैयार करता है तो ऐसी इकाईयों को उक्त परियोजना प्रतिवेदन में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति नवीन इकाई के समान की जावेगी।

5– योजना में उल्लेखित जिला उद्योग केन्द्र के स्थान पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र स्थापित किया जाता है।

6— योजना की प्रचलित शेष शर्ते यथावत् रहेगी।

7— परियोजना प्रतिवेदन जिन संस्थाओं से तैयार कराया जाना है। वे ऐजेंसियाँ राज्य शासन अथवा भारत सरकार से अनुमोदित संस्थाएं होना चाहिए जैसे कि अखिल भारतीय स्तर की वित्तीय संस्थाएं/मध्यप्रदेश वित्त निगम/एम.पी.कॉन/सीईडी/एमएपी/बैंक्स आदि।

इस प्रयोजन के लिए वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा उनके यू.ओ. क्रमांक 342/आर. 490/ब—2 दिनांक 03.05.05 से सहमति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/—
(विश्वपति त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन,
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग

(v) प्रधानमंत्री रोजगार योजना

प्रधानमन्त्री की रोजगार योजना (पी एम आर वाई)

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना 2 अक्टूबर 1993 को आरम्भ की गई जिसके अन्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना को शेष अवधि के दौरान एक मिलियन व्यक्तियों को लगभग 7 लाख अति लघु तथा सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके सतत स्वःरोजगार अवसर उपलब्ध कराने का अनुमान था। यह योजना नौवीं योजना अवधि में जारी रही जिसका योजना लक्ष्य 2.20 लाख लाभार्थियों को प्रतिवर्ष लाभ पहुँचाना था।

शिक्षित बेरोजगार युवक जो 18 वर्ष से 35 वर्ष के आयुवर्ग के हैं (महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा 45 वर्ष), जिन्होंने आठवीं कक्षा पास की है तथा जिनकी पारिवारिक आय 40,000/— रु. प्रतिवर्ष से कम हो, वे सभी आर्थिक व्यवहार्य क्रियाकलापों जिसमें कृषि तथा सह क्रियाकलाप (प्रत्यक्ष कृषि प्रचालन जैसे फसल उगाना तथ खाद खरीद आदि को हटाकर) शामिल हैं, के लिए ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं। इसके अन्तर्गत व्यवसाय क्षेत्र के लिए 1 लाख रुपये तथा अन्य क्रियाकलापों हेतु 2 लाख रु. तक की परियोजनाएँ शामिल हैं। पात्र व्यक्ति भागीदारी में 10 लाख रु. तक की परियोजनाओं के लिए सहायता कर सकते हैं। राजसहायता परियोजना लागत के 15% तक सीमित है जिसकी अधिकतम सीमा प्रति उद्यमी 7500 रु. है। लाभार्थी द्वारा उपान्तराशि का योगदान परियोजना लागत के 5% से 16. 5% तक हो सकती है ताकि राजसहायता तथा उपान्तराशि परियोजना लागत के 20% के बराबर हो। उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए ऋण बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति के दिया जाता है जबकि सेवा तथा व्यवसाय क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 1 लाख रु. तक का ऋण बिना संपार्श्विक प्रतिभूति के दिया जाता है।

योजना में कमजोर वर्गों के लिए अधिमान्यता दी गई है। यद्यपि महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया गया है लेकिन विद्यमान दिशा—निर्देशों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों को तरजीह दी जाती है। अनु.जाति/अनु. जनजाति हेतु 22.5% आरक्षण तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 27% आरक्षण उपलब्ध कराया गया है। प्रत्येक उद्यमी जिसका ऋण स्वीकृत हो जाता है उसे योजना के अन्तर्गत उद्योग केन्द्रों, राज्य उद्योग निर्देशालयों तथा बैंक शाखाओं द्वारा होता है।

योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन सम्बन्धित राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक तथा स्वतन्त्र अभिकरणों के माध्यम से निरन्तर किया जाता है।

प्रधानमन्त्री की रोजगार योजना की मुख्य विशेषता नीचे दी गई है :

पैरामीटर

1.	आयु	:	(i)	पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर, देश के सभी शिक्षित बेरोजगार युवकों हेतु 18 से 35 वर्ष
			(ii)	पूर्वोत्तर राज्यों के सभी शिक्षित बेरोजगार युवकों हेतु 18 वर्ष से 40 वर्ष
2.	शैक्षणिक योग्यता	:		आठवीं पास। उन अभ्यर्थियों को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने

			सरकार द्वारा पंजीकृत अनुमोदित संस्थान से कम से कम 6 माह का किसी भी व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
3.	पारिवारिक आय	:	लाभार्थी की आय पति, पत्नी सहित या लाभार्थी के माता–पिता की आय 40,000/– रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4.	आवास	:	उस क्षेत्र का कम से कम 3 वर्ष का स्थाई निवासी हो (विवाहित महिलाओं के सम्बन्ध में छूट है। विवाहित महिला के सम्बन्ध में आवासीय मानदण्ड उसके पति या पति के घरवालों पर लागू होता है।)
5.	चूककर्ता	:	वे किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान/सहकारी बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति किसी सहायक संयुक्त सरकारी योजना के अन्तर्गत पहले ही सहायता प्राप्त कर रहा है, इस योजना के पात्र नहीं है।
6.	शामिल क्रियाकलाप	:	सभी आर्थिक रूप से सम्भाव्य क्रियाकलाप जिसमें कृषि तथा सह क्रियाकलाप भी शामिल हैं लेकिन प्रत्यक्ष कृषि प्रचालन जैसे फसल उगाना, खाद की खरीद आदि शामिल नहीं है।
7.	परियोजना लागत	:	व्यवसाय क्षेत्र के लिए 1.00 लाख रु. तक का ऋण। अन्य क्रियाकलापों हेतु 2.00 लाख रु. का ऋण दिया जाएगा जो मिश्रित प्रकृति का होगा। यदि दो या दो से अधिक पात्र व्यक्ति इकट्ठे होकर भागीदारी में उद्यम लगाना चाहते हैं तो 10 लाख रु. तक की परियोजनाएँ शामिल की जाती हैं। सहायता व्यक्तिक ग्राह्यता तक ही सीमित है।
8.	सब्सिडी तथा मार्जिन मनी (राजसहायता तथा उपान्त राशि)	: (i)	राजसहायता, परियोजना लागत के 15% तक ही सीमित होगी जिसकी अधिकतम सीमा प्रति उद्यमी 7500/– रु होगी। बैंकों को अधिकार दिए जाएँगे कि वे उद्यमियों द्वारा परियोजना लागत के 5% से 16.50% तक की उपान्त राशि लें ताकि वे राजसहायता तथा उपान्त राशि का कुल मिलाकर परियोजना लागत के 20% के बराबर हो।
		(ii)	पूर्वोत्तर राज्यों हेतु परियोजना लागत के 15% की दर से राजसहायता दी जाएगी जिसकी अधिकतम 15,000/– रु होगी। उद्यमी द्वारा उपान्तराशि का योगदान परियोजना लागत के 5% से 12.5% तक हो सकती है ताकि राजसहायता तथा मार्जन मनी का कुल मिलाकर परियोजना लागत के 20% के बराबर हो।
9.	संपार्श्विक प्रतिभूति	:	उद्योग क्षेत्र में 2 लाख रुपये तक (पी एम आर वाई के अन्तर्गत ऋण सीमा) की परियोजना लागत की इकाइयों के लिए कोई संपार्श्विक नहीं है। उद्योग क्षेत्र में भागीदारी परियोजनाओं के अन्तर्गत संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त करने के लिए छूट सीमा 5 लाख रु. प्रति उधारकर्ता लेखा होगा। सेवा तथा व्यवसाय क्षेत्र की इकाइयों के लिए 1 लाख रुपये तक की परियोजना पर कोई संपार्श्विक नहीं है। भागीदारी परियोजना के मामले में भी जो परियोजना में भाग ले रहा है, संपार्श्विक से छूट 1 लाख रुपये प्रति व्यक्ति होगी।
10.	ब्याज की दर तथा अदायगी	:	ब्याज की सामान्य दर ली जाएगी। जैसा भी प्रस्ताव हो, आरम्भिक स्थगन के बाद अदायगी अनुसूची तथा अदायगी 3 से 7 वर्षों में होगी।

11.	आरक्षण	:	कमजोर वर्गों को तरजीह दी जाएगी जिसमें महिलाएँ भी शामिल हैं। योजना में अनु.जाति/अनु. जनजाति के लिए 22.5% तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (ओ बी सी) के लिए 27% आरक्षण है। यदि किसी मामले में अनु.जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार न उपलब्ध हों तो राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारें, प्र.म.रो.यो. के अन्तर्गत दूसरे वर्गों के उम्मीदवारों पर विचार करने में सक्षम होगी।
12.	प्रशिक्षण	:	प्रत्येक उद्यमी, जिसको ऋण संस्वीकृत हो गया हो, को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा : (i) उद्योग क्षेत्र के लिए : अवधि : 15–20 कार्यकारी दिवस छात्रवृत्ति : 300/– रु. प्रशिक्षण व्यय : 700/– रु. (ii) सेवा तथा व्यवसाय क्षेत्र हेतु : अवधि : 7 से 10 कार्यकारी दिवस छात्रवृत्ति : 150 रु. प्रशिक्षण व्यय : 350/– रु.
13.	कार्यान्वयन अभिकरण	:	इस योजना को क्रियान्वित करने का मुख्य दायित्व जिला उद्योग केन्द्र, उद्योग निदेशालय तथा बैंक हैं।

(vi) दीनदयाल रोजगार योजना

दीनदयाल रोजगार योजना का विवरण

क्र.	योजना के बिन्दु	विवरण
1.	योजना का नाम	दीनदयाल रोजागर योजना
2.	योजना का प्रारंभ	1 अगस्त 2004 से
3.	क्रियान्वयन	प्रारंभ करने की घोषणा दिनांक से (वर्ष 2004–2005)
4.	योजना का उद्देश्य	उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय के क्षेत्र में केवल नवीन इकाईयाँ/गतिविधियों के माध्यम से स्वरोजगार स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु बैंकों के माध्यम से लक्ष्य निश्चित कर ऋण उपलब्ध कराना एवं मार्जिन मनी की सहायता अनुदान के रूप में देना।
5.	पात्रता	1 मूल निवासी मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। 2 आयु आवेदन दिनांक को आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य हो। 3. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा आई.टी.आई. उत्तीर्ण हो। 4. आय आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपये 1. 50 लाख से अधिक नहीं हो। टीप : परिवार से आशय आवेदक/आवेदिका के पति/पत्नि एवं आश्रित बच्चे अथवा आवेदक/आवेदिका के अविवाहित होने पर उसके माता–पिता एवं अविवाहित भाई–बहिन से है। 5. रोजगार कार्यालय में पंजीयन शिक्षित बेरोजगार जिसका रोजगार कार्यालय में आवेदन दिनांक को जीवित पंजीयन हो।
6.	सहायता	हितग्राही को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत के अनुसार निम्नानुसार मार्जिन मनी सहायता स्वीकृत की जा सकेगी :–

		*उद्योग क्षेत्र — स्वीकृत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, अधिकतम रु. 40,000/–। *सेवा क्षेत्र — स्वीकृत परियोजना लागत का 7.5 प्रतिशत, अधिकतम रु. 15000/–। व्यवसाय क्षेत्र — स्वीकृत परियोजना लागत का 5 प्रतिशत, अधिकतम रु. 7500/– टीप : (1) उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत रुपये 1 लाख तक की स्वीकृत परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत अधिकतम रु. 7500/– तक की मार्जिन मनी की पात्रता होगी। (2) योजनांतर्गत मार्जिन मनी की कुल सहायता राशि, हितग्राहियों द्वारा लगाई जा रही कुल राशि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। (3) ऐसे आवेदकों को जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक या इससे अधिक हो, उन्हें उद्योग या सेवा गतिविधि हेतु उपरोक्त निर्धारित प्रतिशत अनुसार अधिकतम सीमा क्रमशः 50,000/– एवं रु. 25,000/– तक मार्जिन मनी सहायता की पात्रता होगी।
7.	प्राथमिकता	1. आईटीआई/डिप्लोमा/इंजीनियरिंग अथवा अन्य मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थाओं से प्रशिक्षित आवेदक। 2. महिला आवेदनकर्ता 3. उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक। 4. आवेदक द्वारा औद्योगिक गतिविधि की स्थापना। 5. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सर्वे सूची में अंकित हितग्राही।
8.	पात्र गतिविधियाँ	उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय से संबंधित समस्त उद्यम/गतिविधियाँ। उद्योग एवं सेवा के अंतर्गत वे गतिविधियाँ मान्य होगी जो जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पंजीकृत/मान्य की गयी हो।
9.	आवेदन प्रक्रिया	इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र निःशुल्क होगा।
10.	आवेदन पंजीबद्ध करना	सभी आवेदन पत्रों को पंजीबद्ध किया जाएगा। आवेदन पत्र पूर्ण अथवा अपूर्ण की जानकारी हितग्राही को दी जावेगी। अपूर्ण आवेदन पत्र को पूर्ण कराने की कार्यवाही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र स्तर पर की जावेगी। आवेदन के साथ प्रस्तावित गतिविधियों की प्रोजेक्ट प्रोफाइल/योजना की प्रति भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जावेगी।
11.	आवेदन पत्र बैंक प्रेषित करना	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा हितग्राही से प्राप्त आवेदन पत्र एवं परियोजना प्रतिवेदन को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए गठित टास्क फोर्स समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा समिति के अनुमोदन के पष्चात आवेदन संबंधित बैंक (यथा संभव हितग्राही की इच्छा के अनुरूप को अनुशंसा के साथ अग्रेषित किए जावेंगे तथा बैंक को योजनांतर्गत मार्जिन मनी की पात्रता के संबंध में अवगत कराया जाएगा। इसकी सूचना हितग्राही को दी जावेगी। 30 कार्य दिवस में बैंक से प्रकरण के निराकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त न होने पर जिला स्तर पर गठित समीक्षा समिति के समक्ष लंबित प्रकरणों के संबंध में जानकारी दी जावेगी।
12.	मार्जिन मनी	बैंक से ऋण स्वीकृति एवं हितग्राही द्वारा जमा की गयी मार्जिन मनी

राशि प्राप्त होने की सूचना प्राप्त होने पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप मार्जिन मनी की राशि बैंक को 10 कार्यदिवस में उपलब्ध करायेंगे।

13. जिला स्तर पर समिति

अ. मार्जिन मनी अनुमोदन/स्वीकृति हेतु अधिकृत समिति

ब. समीक्षा हेतु समिति

अ. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र स्तर पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना अंतर्गत गठित टास्क फोर्स समिति प्रकरण अनुमोदन हेतु अधिकृत होगी।

ब. यह समिति जिलों में योजना के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु सतत् समीक्षा करेगी जिसमें बैंकों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा, सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना की समीक्षा, हितग्राहियों के समस्याओं के निराकरण हेतु मार्गदर्शन देना एवं समिति के विचारार्थ जो विषय प्रस्तुत होगें उन पर समुचित विचार कर निराकरण करेगी।

1 कलेक्टर : अध्यक्ष
2 जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक : सदस्य
3 तीन प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के समन्वयक/प्रतिनिधि – : सदस्य जिला
4 सेडमेप एवं एम.पी.कॉन : सदस्य जिला प्रतिनिधि
5 एस.आई.एस.आई के प्रतिनिधि : सदस्य
6 जिला महिला बाल विकास अधिकारी : सदस्य
7 जिला रोजगार अधिकारी : सदस्य
8 पॉलिटेक्निक कालेज एवं आईटीआई के प्रतिनिधि : सदस्य
9 महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र : सदस्य सचिव

टीप : आवश्यक होने पर कलेक्टर किसी भी विभाग/संस्था/बैंक के अधिकारी/प्रतिनिधि को समिति की बैठक में बुला सकेंगे।

14. प्रशिक्षण

योजना अन्तर्गत मार्जिन मनी स्वीकृति के पश्चात हितग्राही को 10–15 दिवस प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सेडमेप या एमपीकॉन द्वारा दिया जाएगा। योजनान्तर्गत एक साथ पर्याप्त संख्या में हितग्राही उपलब्ध नहीं होने पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना अन्तर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिलाया जा सकेगा। उद्यमिता विकास कार्यक्रम में पूर्व प्रशिक्षित हितग्राही को इस योजना अन्तर्गत पृथक से प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

15. बजट प्रावधान

योजनान्तर्गत बजट प्रावधान में से न्यूनतम 90 प्रतिशत राशि मार्जिन मनी हेतु उपयोग की जावेगी, शेष राशि अधिकतम 10 प्रतिशत में से योजनान्तर्गत प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार, जागरूकता शिविर, संगोष्ठि एवं आकस्मिक व्यय आदि में उपयोग की जा सकेगी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के प्रशिक्षण संबंधी व्यय प्रधानमंत्री रोजगार योजनांतर्गत प्रशिक्षण मद में ही वहन होगा।

16. मार्जिन मनी का वितरण एवं समायोजन

योजना अन्तर्गत प्रदत्त मार्जिन मनी की राशि स्वीकृत परियोजना अनुसार बैंक ऋण वितरण एवं हितग्राही के अंश की मार्जिन मनी राशि जमा करने के पश्चात ही अनुदान के रूप में समायोजित हो सकेगी। यदि हितग्राही के अंश की जमा की गयी मार्जिन राशि शासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी मार्जिन मनी राशि के 50 प्रतिशत से कम हुई तो उसी अनुपात में शासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी मार्जिन मनी राशि समायोजित हो सकेगी।

17. विविध

1. जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रत्येक माह प्रेषित, स्वीकृत, मार्जिन मनी से स्वरोजगार प्रारंभ इकाईयों की समीक्षा आवश्यक रूप से की जावेगी।
2. योजनांतर्गत भागीदारी के प्रकरणों पर भी विचार किया जा सकता है परंतु भागीदारी एक ही परिवार के सदस्यों के बीच मान्य नहीं होगी।
3. अन्य किसी योजना (जैसे खादी ग्रामोद्योग की मार्जिन राशि योजना) से मार्जिन मनी सहायता का लाभ प्राप्त कर चुके/कर रहे हितग्राही इस योजना में लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
4. प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के केवल रु. 1.00 लाख से अधिक के ऋण स्वीकृति पर ही इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा परन्तु प्रधानमन्त्री रोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान व इस योजनांतर्गत प्रदत्त मार्जिन मनी सहायता हितग्राही द्वारा लागई जा रही है, मार्जिन मनी के 50 प्रतिशत से अधक नहीं होगी।
5. औद्योगिक इकाई को उद्योग विभाग में नियमानुसार अन्य सुविधायें भी (पात्रता होने पर) प्राप्त हो सकेगी।
6. लागत पूंजी अनुदान की पात्रता की स्थिति कुल अनुदान राशि में से उपलब्ध कराई गयी मार्जिन मनी सहायता राशि को कम करने के पश्चात शेष राशि ही अनुदान के रूप में दी जावेगी।
7. बैंकों से आशय समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से है।
8. किसी बैंक का/उद्योग विभाग की देयताओं का डिफाल्टर होने की स्थिति में हितग्राही को योजनान्तर्गत पात्रता नहीं होगी।
9. बैंक द्वारा ऋण वितरण नहीं किए जाने की स्थिति में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा बैंक को उपलब्ध कराई गई मार्जिन मनी की राशि अन्य हितग्राही के लिए उपलब्ध कराई जा सकेगी।
10. गलत/भ्रामक जानकारी अथवा गलत तरीके से मार्जिन मनी प्राप्त करने पर हितग्राही से समस्त राशि 10 प्रतिशत दाण्डिक ब्याज सहित वसूल की जावेगी।
11. योजना अंतर्गत मार्जिन मनी सहायता प्राप्त उद्यम का निरीक्षण जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। मार्जिन मनी राशि के दुरुपयोग पाये जाने की स्थिति में भू–राजस्व की बकाया की तहत मार्जिन मनी राशि वसूल की जा सकेगी तथा विधि सम्मत अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
12. योजना की व्याख्या/संशोधन हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग सक्षम होगा।
13. जिला स्तरीय समिति से पत्राप्त प्रकरण संदर्भ राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी में समीक्षा हेतु रखे जाएंगे।

दीनदयाल रोजगार योजना हेतु आवेदन सह शपथपत्र

1 आवेदक का पूरा नाम
2. पिता/पति का नाम फोटो
3. अ. निवास स्थान का पता एवं दूरभाष क्रमांक
ब. पत्राचार का पूरा पता एवं दूरभाष क्रमांक
स. स्थायी पता –
4. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
5. अ. जन्म तारीख
ब. आवेदन दिनांक को उम्र
6. आवेदक का वर्ग अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी./अल्पसंख्यक/सामान्य
7. रोजगार कार्यालय पंजीयन क्रमांक
8. मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करें
9. प्रस्तावित उद्योग, सेवा, व्यवसाय का नाम (परियोजना प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करना है)
10. (अ) आवश्यक प्रस्तावित ऋण
स्थाई कार्यशील अन्य
(ब) आवश्यक मार्जिन मनी राशि
स्वयं द्वारा योजनांतर्गत वांछित
11. गतिविधि के प्रस्तावित स्थल का पूर्ण पता
12. प्रस्तावित बैंक शाखा का नाम जहाँ हितग्राही अपना प्रकरण भेजना चाहता हो
अ.
ब.
स.
13. उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो उसका विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
14. तकनीकी अनुभव (यदि कोई हो)
15. पूर्व में शासन की किसी योजना का लाभ लिया हो तो उसका पूर्ण विवरण।
16. शासन की किसी अन्य योजना से भी लाभ प्राप्त किया जा रहा हो तो उसका विवरण।

आवेदक का नाम एवं
हस्ताक्षर

मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण बिन्दु 1 से 16 तक सत्य है और मेरे द्वारा कोई संगत तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आवेदक का नाम एवं
हस्ताक्षर

(vi) रानी दुर्गावती अनु.जा./जनजाति स्वरोजगार योजना

रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना
(वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के –क्रमांक F6-8/2003/11-अ
दिनांक 28 फरवरी, 2003 द्वारा प्रसारित)

राज्य शासन अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से उत्थान करने के लिए कृत संकल्पित है। इसी अनुक्रम में भोपाल घोषणा पत्र में उल्लेखित महत्वपूर्ण अनुशंसा जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को सफल उद्यमियों के रूप में विकसित करने से संबंधित है, को अमलीजामा पहनाने के उद्देश्य से इस वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए निम्नानुसार योजना है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष कम से कम 5000 अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के माध्यम से उद्यमी के रूप में विकसित कर अपने उद्योग अथवा व्यवसाय स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार आगामी 5 वर्षों में 250000 अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से निम्न स्वरूप/प्रकार का होगा :–

1.	योजना का नाम	–	रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना
2.	योजना का प्रारंभ	–	यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल, 2003 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी।
3.	योजना का उद्देश्य	–	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के रूप में उद्योग/व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से सहायता उपलब्ध कराना जिसमें उद्यम के चयन से लेकर प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, विपणन, स्थापना आदि सभी चरणों में सहायता व सघन अनुश्रवण भी सम्मिलित है।
4.	पात्रता	–	इस योजना के अन्तर्गत राज्य की अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे जो :– • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो। (राजस्व अनुभाग स्तर के अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र हो) • उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष हो। • किसी शासकीय/मानयता प्रापत विद्यालय से कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो।
5.	प्राथमिकता	–	निम्न श्रेणी के आवेदकों को प्राथमिकता रहेगी :– अ राज्य शासन का बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले तथा/अथवा ब तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग की ''बहुउद्देश्यीय इंजीनियर'' योजनान्तर्गत प्रशिक्षित।
6.	महिला आवेदन कर्ता	–	इस वर्ग की महिला उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जावेगा।
7.	पात्र गतिविधियाँ	–	उद्योग/सेवा/व्यवसाय से संबंधित समस्त गतिविधियाँ।
8.	आवेदन प्रक्रिया	–	इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र ''परिशिष्ट एक'' में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से आवेदन–पत्र निःशुल्क वितरित किए जाने की व्यवस्था रहेगी।
9.	आवेदन पंजीबद्ध करना	–	सभी प्राप्त आवेदन पत्रों को एक पृथक पंजी में पंजीबद्ध किया जावेगा तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में इन आवेदनों का परीक्षण किया जावेगा। पात्र आवेदनों में चयन की अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।
10.	पात्र आवेदकों को सूचना	–	पात्र आवेदकों को चयन की अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्र द्वारा संसूचना भेजी जावेगी। ऐसे आवेदकों की सूची कार्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जावेगी। उक्त संसूचना में आवेदकों को निर्धारित दिनांक को परामर्श तथा चयन समिति द्वारा साक्षात्कार संबंधी विवरण होगा।
11.	परामर्श	–	चयन समिति की बैठक के पूर्व उसी दिन आवेदकों को जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द द्वारा/अथवा सेडमेप एवं अन्य विशेषज्ञों द्वारा स्वरोजगार/उद्यम स्थापना हेतु मार्गदर्शन के रूप में परामर्श दिया जावेगा जिससे आवेदक चयन समिति के अपने योजना के संबंध में प्रभावी प्रस्तुतीकरण कर सकें।
12.	चयन प्रक्रिया	–	आवेदकों का चयन 'प्रथम आओ, प्रथम पाओ' के आधार पर किया जावेगा। सभी आवेदन सूचीबद्ध किये जावेंगे। आवेदकों का चयन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा साक्षात्कार के

माध्यम से किया जावेगा। इस समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे –

1. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उघोग केन्द्र – अध्यक्ष
2. जिला रोजगार अधिकारी – सदस्य
3. जिला अग्रणी बैंक के प्रतिनिधि – सदस्य
4. बैंकों के प्रतिनिधि – सदस्य
5. आदिवासी वित्त विकास निगम के जिला प्रतिनिधि – सदस्य
6. मध्यप्रदेश सहकारी अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम के जिला प्रतिनिधि – सदस्य
7. जिला समन्वयक, उद्यमिता, विकास केन्द – सदस्य
8. जिला ग्रामोद्योग अधिकारी – सदस्य
9. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण – सदस्य
10. प्रबंधक, स्वरोजगार जिला व्यापार एवं उघोग केन्द्र – सदस्य सचिव

टीप : लघु उद्योग सेवा संस्थान, लघु उद्योग निगम, म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन जैसी विशेषज्ञ संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जा सकेगा। चयन समिति की बैठक प्रत्येक माह की 5 तथा 20 तारीख (अवकाश होने की दशा में अगले कार्य दिवस को) निश्चित रूप से आयोजित की जावे। बैठक के लिए फोरम का कोई बंधन नहीं होगा तथा प्रकरणों में उसी दिन (बैठक के दिन) निर्णय लिया जाना आवश्यक होगा। बैठक सामान्यतः जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्यालय में आयोजित की जावे, परन्तु आवश्यकतानुसार विकास खण्ड/तहसील/बैंक अथवा अन्य स्थान पर भी आयोजित की जा सकेगी। चयन होने के पन्द्रह दिवस के अन्दर जिला रोजगार उप समिति के समक्ष चयनित आवेदकों की सूची प्रस्तुत किया जाना होगा ।

13. जिला स्तरीय समिति के दायित्व –
    1. साक्षात्कार के माध्यम से प्रथमतः आवेदक के उद्यम का प्राथमिक चयन।
    2. चयनित आवेदक को यदि प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो तद्नुसार सामान्य/तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा उसका अनुश्रवण।
    3. यदि आवेदक को प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है तो उसके उद्यम की सहायता हेतु पहल।
    4. क्रमांक 2 में उल्लेखित आवेदक यदि प्रशिक्षण के दौरान चिन्हित उद्यम में यदि परिवर्तन चाहता है तो आवश्यक सहायता।
    5. आवश्यकतानुसार तकनीकी/विपणन/वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सहयोग देना।
    6. रु. 5000/– तक मार्जिन मनी स्वीकृत करना।
    7. हितग्राही से निरन्तर संपर्क बनाये रखना।
14. अनुमोदन – चयन समिति द्वारा अनुशंसित नामों की सूची का अनुमोदन जिला योजना समिति की जिला रोजगार उप समिति से लिया जावेगा। सूची प्रस्तुत होने के अधिकतम 15 दिन के अन्दर सूची का अनुमोदन उप समिति द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।
15. सहायता तथा अनुश्रवण के लिए अभिभावक की नियुक्ति – चयनित प्रत्येक हितग्राही के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा विभाग के प्रबंधक/सहायक प्रबंधक को सहायता देने के लिए अभिभावक के रूप में नियुक्त किया जावेगा। जो

प्रारंभ से ही समन्वय स्थापित कर आवेदन पत्र पूर्ण करने, प्रकरण वित्तीय संस्था को भेजने, वित्तीय संस्था से ऋण स्वीकृति एवं वितरण हेतु पूर्ण सहयोग रखेगा तथा प्रशिक्षण के समय भी पूर्ण संपर्क में रहेगा। अभिभावक उद्यम स्थापना के 2 वर्ष तक हितग्राही के संपर्क में रहकर मानिटरिंग करेगा एवं आवश्यकता होने पर समय समय पर अन्य आवश्यक सहायता/मार्गदर्शन देगा तथा इस संबंध में जिला स्तरीय चयन समिति को अवगत कराता रहेगा।

16. अभिभावक का दायित्व –

अ. (i) ऐसे हितग्राही जिनके संबंध में जिलास्तरीय चयन समिति ने यह पाया कि उन्हें किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, महाप्रबंधक द्वारा ऐसे प्रकरणों में तत्काल अभिभावक की नियुक्ति की जाकर उद्यम स्थापना की कार्यवाही प्रारंभ करवाये।

(ii) अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वह हितग्राही की इकाई स्थापना हेतु आवश्यक व्यवस्था जुटाने में सतत परामर्श एवं सहायता दे, ऋण प्रकरणों को तैयार कराने, बैंक से हितग्राही का संपर्क कराने, ऋण स्वीकृत कराने, ऋण वितरण कराने जैसी सभी गतिविधियों में हितग्राही के साथ सक्रिय रूप में सम्मिलित रहे तथा हितग्राही को स्वरोजगार इकाई की स्थापना में आने वाली सभी कठिनाईयों के निराकरण में मदद करें।

ब. (i) ऐसे हितग्राही जिनका चयन प्रशिक्षण हेतु किया गया है, प्रकरणों में भी महाप्रबंधक द्वारा तत्काल ही किसी भी स्थिति में प्रशिक्षण प्रारंभ होने के पूर्व अभिभावक की नियुक्ति की जावेगी।

(ii) अभिभावक का यह दायित्व होगा कि संपूर्ण प्रशिक्षण अवधि में हितग्राही के सतत संपर्क में रहे तथा प्रशिक्षण के दौरान भी स्वरोजगार की स्थापना हेतु आवश्यक परामर्श/सहायता दें।

(iii) अभिभावक तथा प्रशिक्षण संस्था का यह दायित्व होगा कि वे हितग्राही के ऋण प्रकरण को प्रशिक्षण के दौरान ही तैयार करा कर संबंधित वित्तीय संस्था से ऋण स्वीकृत तथा वितरण कराने का प्रयास करें।

17. प्रशिक्षण –

प्रशिक्षण कार्यक्रम 4 सप्ताह का होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रत्येक बैच में 20 से 40 प्रशिक्षणार्थियों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जावेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रमुखतः निम्नानुसार जानकारी दी जावेगी एवं कार्यवाही की जावेगी –

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यतः विभिन्न विभागों की स्वरोजगार एवं आर्थिक सहायता आदि से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी जावेगी।
2. लेखा जोखा, लाभ हानि आदि के संबंध में जानकारी।
3. प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने, बाजार सर्वेक्षण, कच्चामाल आदि के संबंध में।
4. आवेदकों की चयनित उद्यम की स्थापना के लिए आवेदन पत्र तैयार करवाना, संबंधित संस्था को प्रेषित करना तथा समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कराना।

5. विभिन्न विभागों की अनुमति, सम्मति, पंजीयन, अनुज्ञप्ति आदि की आवेदन पत्र एवं प्रक्रियाओं की जानकारी दी जावेगी।
6. वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया, औपचारिकताएँ एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
7. चयनित गतिविधि अथवा उससे संबंधित गतिविधि का व्यवहारिक प्रशिक्षण।
8. क्षेत्रीय भ्रमण।

18. प्रशिक्षण–व्यय – प्रशिक्षण का क्रियान्वयन चयन प्रति प्रशिणार्थी रुपये 2000/– तक परिसीमित होगा। प्रशिक्षण का व्यय प्रशिक्षण हेतु भवन/स्थान का किराया, प्रशिक्षणार्थियों को पाठ्य सामग्री/लेखन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षक को मानदेय, आहार एवं आकस्मिक/विविध व्यय पर किया जा सकेगा। प्रशिक्षण का व्यय शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

19. प्रशिक्षण हेतु संस्थाएँ – प्रशिक्षण का दायित्व उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेष (सेडमेप) को दिया जावेगा। आवश्यकतानुसार उद्योग आयुक्त से अनुमति के पश्चात अन्य संस्थाओं को भी प्रशिक्षण हेतु दायित्व दिया जा सकेगा।

20. मार्जिन मनी – स्वयं का उद्योग, सेवा, व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। हितग्राहियों को ऋण प्राप्त करने के लिए स्वयं के स्तर से मार्जिन मनी लगानी पड़ती है किन्तु जो हितग्राही मार्जिन मनी लगाने की स्थिति में नहीं रहता है उसे ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है अतः इस योजनान्तर्गत चयनित हितग्राही को निम्नानुसार उसके उद्यम की आवश्यकता को देखते हुए मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध कराई जावेगी, यह सहायता अनुदान के रूप में होगी –

- रु. 50000/– (पचास हजार) मार्जिन मनी की आवश्यकता के प्रकरणों में स्वीकृति जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जा सकेगी।
- रु. 50000/– (पचास हजार) से अधिक की मार्जिन मनी के प्रकरणों में स्वीकृति जिला योजना समिति द्वारा की जा सकेगी।

  मार्जिन मनी की राशि किसी स्थिति में स्वीकृत परियोजना लागत के 33 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- वित्तीय संस्था द्वारा हितग्राही के प्रकरण में प्रावधिक स्वीकृति आदेश/संसूचना के साथ उपरोक्तानुसार मार्जिन मनी की माँग जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से की जायेगी।

21. उद्यम की स्थापना – अ. आदर्श स्थिति में प्रशिक्षण पूर्ण होने तक ऋण स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही हो जानी चाहिए जिसस प्रशिक्षण प्राप्ति के पश्चात 20 कार्य दिवस की अवधि में प्रशिक्षार्थी का उद्यम स्थापित हो सके।

किसी भी परिस्थिति में यह अवधि प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात 90 कार्य दिवस से अधिक की नहीं होगी।

ब. ऐसे प्रकरणों में जिनमें प्रशिक्षण की आवश्यकता नही थी, चयन होने के दिनांक से अधिकतम 90 कार्य दिवस की अवधि में उद्यम स्थापित होना सुनिश्चित किया जावेगा।

स. ऋण प्रकरण प्रेषित करने के पश्चात 2 माह की अवधि में ऋण वितरित नहीं किए जाने की दशा में संबंधित अभिभावक प्रकरण की वस्तुस्थिति से महाप्रबंधक को अवगत करायेगा। महाप्रबंधक ऐसी स्थिति की जानकारी प्राप्त होने की 15 कार्य दिवस की अवधि में ऋण के वितरण हेतु सघन प्रयास करेंगे।

द. उपरोक्तानुसार प्रयास के बाद भी वित्तीय संस्था द्वारा ऋण वितरण नहीं किया जाता है तो प्रकरण जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

ई. संबंधित कलेक्टर ऐसे प्रकरणों में व्यक्तिगत रूप से एल.डी.एम. एवं संबंधित बैंक के जिला समन्वयक से बैठक कर कार्यवाही करते हुए आगामी 15 कार्य दिवस में ऋण वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करवायेंगे।

फ. उपरोक्तानुसार समय सीमा में प्रत्येक स्तर पर आवश्यक तथा सघन अनुश्रवण के बाद भी यदि किसी वित्तीय संस्था द्वारा ऋण वितरण नहीं किया जाता है तो संबंधित कलेक्टर ऐसे प्रकरणों की जानकारी उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे जो बैंक के वरिष्ठतम स्तर से एस.एल.बी.सी. के माध्यम से प्रकरण में कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

22. समीक्षा एवं अनुश्रवण — योजना के क्रियान्वयन की सतत् समीक्षा तथा हितग्राहियों के सफल स्थापित होने की प्रक्रिया में अनुश्रवण का दायित्व निम्न पर होगा —

1. अभिभावक
2. प्रशिक्षण देने वाली संस्था
3. जिला स्तरीय चयन समिति
4. जिला रोजगार उप समिति

23. विविध —

1. पैरा 16 में उल्लेखित अ तथा ब श्रेणी के हितग्राही यदि किसी भी राज्य/केन्द्र शासन की प्रचलित स्वरोजगार/ऋण योजना इत्यादि में पात्रता रखते हैं तो संबंधित हितग्राही को उक्त योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर वित्त पोषित किया जावे। ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत लाभ दिलाया जाना बंधनकारी होगा।
2. ऐसे हितग्राही उक्त योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध विभिन्न वित्तीय सुविधाओं जैसे अनुदान आदि के पात्र होंगे।
3. ऐसे सभी हितग्राही जिन्होंने स्वरोजगार इकाई के रूप में किसी उद्योग/सेवा इकाई की स्थापना की है, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रचलित ब्याज अनुदान योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत ब्याज अनुदान भी प्राप्त कर सकेंगे।

4. ऐसे हितग्राहियों जिनका वित्त पोषण केन्द्र/राज्य शासन के किसी प्रचलित योजनांतर्गत किया गया हो, के प्रकरणों में प्रशिक्षण व्यय संबंधित योजना में प्रशिक्षण व्यय की सीमा अनुसार उक्त योजना से ही किया जावेगा।
5. योजनान्तर्गत प्रशिक्षण, मार्जिन मनी, ब्याज अनुदान आदि का व्यय बजट शीर्ष 41 तथा 64 से विकलनीय होगा।
6. इस योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे इस हेतु समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन के साथ–साथ जिले के विभिन्न स्थानों में जागरूकता शिविर आयोजित कर भी किया जावे।
7. इस योजना के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाही आदेश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त अधिकृत होंगे एवं योजनाओं में किसी भी प्रकार की व्याख्या अथवा संशोधन के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग सक्षम होगा।
8. गलत एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर कोई भी व्यक्ति योजना के अन्तर्गत यदि लाभ प्राप्त करता है तो उसे प्रदाय की गई समस्त राशि दाण्डिक ब्याज के साथ वसूल की जावेगी तथा विधि अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

परिशिष्ट – 1

रानी दुर्गावर्ती अनुसूचित जाति/जनजाति स्वरोजगार योजना
आवेदन – पत्र

1. आवेदक का नाम एवं पिता/पति का नाम
2. आवेदक का स्थाई पता एवं पत्राचार का पता
3. आवेदक का वर्ग (जाति)
   अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
   (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
4. शैक्षणिक योग्यता
5. बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हो रहा है या नहीं
6. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय
   (गरीबी रेखा की सूची में नाम है या नहीं)
7. आवेदक उद्यम/गतिविधि जिसमें इच्छुक है –
   (अ)
   (ब)
   (स)
8. उद्यम का प्रस्तावित स्थल
9. प्रशिक्षित है या नहीं

आवेदक के हस्ताक्षर

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
पावती

श्री ..... पिता/पति श्री .....
पता ..... दिनॉक ..... का रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना अन्तर्गत पूर्ण/अपूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

आवेदन पत्र में निम्न कमिया है :–

1. 2.
3. 4.

दिनॉक

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

(viii) उन्नत तकनीक आयात पर विशेष सुविधाएँ

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 20/17/2005/बी/ग्यारह भोपाल, दिनांक 04.06.2005

प्रति,

उद्योग आयुक्त
मध्यप्रदेश

विषय :– उन्नत तकनीकी आयात पर सुविधायें एवं एन.आर.डी.सी. (National Research Development Council) या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर भुगतान की प्रतिपूर्ति योजना।

––0––

उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्ययोजना की कंडिका 4.2.21 एवं 4.2.20 के उद्धरण निम्नानुसार है :–

4.2.21 – एन.आर.डी.सी. (National Research Development Council) या अन्य शासकीय केन्द्रों में प्रोद्योगिकी क्रय के व्यय पर भुगतान का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. 2.00 लाख प्रतिपूर्ति, अनुदान के रूप में देय होगा।

4.2.20 – ''प्रस्तावित नीति के अंतर्गत नवीन उद्योगों को प्रदत्त सुविधायें कतिपय उद्योगों को उपलब्ध नहीं होगी यथा, स्लाटर हाउस, एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स (पल्प पर आधारित कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़कर) तम्बाकू एवं तम्बाकू पर आधारित उत्पाद, मदिरा, पान, मसाला, गुटखा, परंपरागत उद्योग इत्यादि। शासन द्वारा ऐसे उद्योगों की सूची का संबंधित नियमों में पृथक से समावेश किया जायेगा। आवश्यक होने पर समय–समय पर यह सूची संशोधित की जायेगी।''

उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्य योजना में उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा उन्नत तकनीकी आयात पर विशेष सुविधायें एवं एन.आर.डी.सी. (National Research Development Council) या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर भुगतान की प्रतिपूर्ति योजना निम्नानुसार लागू करने के निर्णय लिये गये हैं :–

1. उन्न तकनीकी आयात पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति योजना में राष्ट्रीय, अंतराष्ट्रीय नियम/कानून के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों की स्थापना एवं उत्पादन प्रक्रिया हेतु उन्नत तकनीक आयात पर किये गये व्यय की शत–प्रतिशत प्रति अधिकतम रु. 2.00 लाख एवं एन.आर.डी.सी. (National Research Development Council) या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर भुगतान का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2.00 लाख की प्रतिपूर्ति/अनुदान लघु उद्योग, वृहद एवं उद्योग को देय होगी।
2. इस योजना के अंतर्गत नवीन उद्योगों को प्रदत्त सुविधायें कतिपय उद्योगों को उपलब्ध नहीं होगी यथा स्लाटर, एरिएंटेड कोल्ड ड्रिंक्स (पल्प पर आधारित कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़कर) तम्बाकू एवं तम्बाकू पर आधारित उत्पाद, मदिरा, पान, मसाला, गुटखा, परंपरागत उद्योग इत्यादि (सूची राज्य शासन द्वारा शीघ्र जारी की जावेगी)। शासन द्वारा आवश्यक होने पर समय–समय पर यह सूची संशोधित की जायेगी।
3. इस योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति हेतु औद्योगिक इकाईयों को दिनांक 1.4.2004 के पश्चात् उन्नत तकनीकी आयात एवं एन.आर.डी.सी. (National Research Development Council) या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय करने पर पात्रता होगी।
4. इकाई को भारत सरकार से उद्योग स्थापना हेतु आशय पत्र/अवज्ञा पत्र/आई.ए.एम या
5. इस योजना के अंतर्गत हुये व्यय की प्रतिपूर्ति इकाई द्वारा आयातित/क्रय की गई तकनीक के उपयोग से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात की जावेगी। इकाई को ऐसे उत्पादन प्रारंभ करने के 6 माह के अंदर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस शर्त को शिथिल करने के अधिकार उद्योग आयुक्त को होंगे।
6. यह प्रतिपूर्ति तकनीक आयात एवं एन.आर.डी.सी. (National Research Development Council) या अन्य शासकीय केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के लिये वास्तविक भुगतान की गई राशि पर किया जायेगा। इस कार्य पर हुये व्यय का सत्यापन सी.ए. के प्रमाण पत्र के आधार पर महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा किया जायेगा।
7. इस योजना के अंतर्गत निर्धारित आवेदन पत्र जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज भी प्रस्तुत किये जाने होंगे।
   अ. इकाई स्थापना हेतु भारत सरकार से प्राप्त आशय पत्र/अनुज्ञा पत्र/आई.ई.एम. या महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी अस्थाई/स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र/उत्पादन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
   ब. उन दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति जो उन्नत तकनीकी आयात करने के लिये किये गये व्यय प्रमाणित करते हों या एन.आर.डी.सी, (National Research Development Council) या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर भुगतान की रसीद।
8. इकाईयों को यह प्रतिपूर्ति/अनुदान किसी एक उन्नत तकनीक आयात अथवा प्रौद्योगिकी क्रय हेतु एक बार दिया जायेगा। प्रतिपूर्ति/अनुदान की अधिकतम सीमा के अंतर्गत इकाई एक से अधिक उन्नत तकनीक आयात अथवा प्रौद्योगिकी क्रय हेतु आवेदन कर सकेगी।

9. इस योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति/अनुदान स्वीकृत करने के पूर्व महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा आवश्यकता अनुसार मेपकॉस्ट (म.प्र. विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद) अथवा लघु उद्योग सेवा संस्थान अथवा राज्य/स्वदेश के प्रौद्योगिकी संस्थानों से परामर्श प्राप्त कर सकेंगे।

10. योजना अंतर्गत प्रकरणों में प्रतिपूर्ति/अनुदान के लिए स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र उनकी अधिकारिता क्षेत्र में होंगे।

11. इस योजना के क्रियान्वयन में व्याख्या की अस्पष्टता अथवा विवाद होने की दशा में उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

12. योजना हेतु आवेदन पत्र के परिशिष्ट 'अ' अनुसार होगा।

इस प्रयोजन के लिए वित्त विभाग म.प्र. शासन द्वारा उनके यू.ओ. क्रमांक 332/आर 463/ब–2 दिनांक 29.04.2005 से सहमति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
एवं आदेशानुसार
हस्ता/–
(विश्वपति त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन,
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग

परिशिष्ट – ''अ''

उन्नत तकनीकी आयात एवं एन.आर.डी.सी. (National Research Development Council) या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर भुगतान की प्रतिपूर्ति/अनुदान हेतु आवेदन सह–शपथ पत्र

(नान–ज्युडीशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

1. इकाई का नाम एवं पता :–
2. इकाई का गठन (स्वामित्व/भागीदारी/प्रा.लि./लि. अथवा अन्य) संबंधी प्रमाण–पत्र की प्रति :–
3. इकाई के स्वामी/भागीदार/संचालक का नाम एवं पता :–
4. स्थाई पंजीयन/अनुज्ञा पत्र/आई.ई.एम. क्रमांक एवं दिनांक :–
5. संस्था का नाम एवं पता जिससे तकनीक क्रय की गई :–
6. आयातित तकनीक/क्रय प्रौद्योगिकी का पूर्ण विवरण (यथा आवश्यकता अतिरिक्त पेपर शीट का उपयोग करें) :–
7. तकनीक प्रदायक संस्था एवं इकाई के मध्य तकनीक प्रदाय हेतु निष्पादित अनुबंध की प्रति :–
8. तकनीक आयात/क्रय हेतु भुगतान की राशि का विवरण :–
9. अन्य विवरण :–

हस्ताक्षर
(स्वामी/भागीदार/संचालक)

शपथ–पत्र

मैं ..... पिता/पति श्री ..... उम्र .....
निवासी ..... (स्वामी/भागीदारी/संचालक) मेसर्स .....
शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि :–

1. मैं उक्त आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत हूँ।
2. आवेदन पत्र के बिन्दु क्रमांक 1 से ..... में प्रदत्त जानकारी मेरे संज्ञान से सत्य है तथा मेरे द्वारा कोई तथ्य छुपाया अथवा कपटपूर्ण ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदन के संलग्न समस्त दस्तावेज एवं जानकारियाँ सत्य एवं प्रमाणित है।
3. उक्त योजना के समस्त शर्तों को पालन करने हेतु बाध्य रहूँगा।
4. यह कि योजना अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति आवेदन प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है तथा इस मद में कभी भी संस्था से प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त नहीं की गई है।
5. यह कि भविष्य में यह सिद्ध होने पर कि प्रतिपूर्ति राशि गलत तथ्यों के आधार पर प्राप्त की गई है तो उक्त राशि तत्समय प्रचलित ब्याज दर की राशि सहित वापस करने हेतु बाध्य रहूँगा।

गवाह के नाम, पता एवं हस्ताक्षर

1. .....
2. .....

हस्ताक्षर
(स्वामी/भागीदार/संचालक)

दिनांक .....

संलग्न दस्तावेजों का विवरण

1.
2.
3.
4.
5.
6.

हस्ताक्षर
(स्वामी / भागीदार / संचालक)
(नाम एवं पता)

परिशिष्ट – ''अ''

ANNEXURE – III

List of Products of Food Processing

1. Packaged vegetables and fruits including dehydrated vegetables.
2. Packaged sauces, purees and pulps and ketchup including tomato paste.
3. Packaged cereal based foods including cornflakes and oat meal.
4. Packaged processed spices and spice based powder, including onion poweder and garlic powder and packaged iodised salt.
5. Packaged garlic oil, oblive oil and vinegar.
6. Packaged marmalades, jams, jellies and pickles.
7 Packaged oleoresins.
8. Packaged solvent extruded oil or packaged refined oil produced in a unit which is attached to a solvent extrusion plant including packaged solvent extracted rice bran edible oil and mango kernel oil.
9. Packaged malt based food products excluding liquor.
10. Packaged instant food.
11. Packaged instant tea & coffee.
12. Packaged milk products like condensed milk & milk powder.
13. Packaged confectionery items including chocolates.
14. Packaged non-vegetable food products including chicken, meat, fish and piggery based produces.
15. Packaged egg powder.
16. Pectin and papain from papaya and pectin from lime waste.
17. Ready to eat ready-mix and instant food items sold as packaged snacks and packaged extruded food.
18. Soya milk and fruit or vegetable based beverages sold in packages including packaged fruits and vegetable concentrates, cordials and squashes.
19. Soya-based products like textured vegetable proteins and snack food, defatted soya flour, full falled soya flour, soya concentrate lecithin, epoxydised soya bean oil (food grade), soya isolates, soya proteins and GMS (Glucko Mono Stearate)
20. Sugar cubes and sugar packed in consumer packages like sachets.
21. Bakery products including bread, cakes, buns & biscuits.
22. Glycerin (food grade)
23. Edible sal fat.
24. Pasturised butter, margarine, chees, vanaspati and bakery shortening such as yeast.
25. Edible grade gelatin.
26. Containers and packages for processed food items.

(ix) मेगा प्रोजेक्ट हेतु आवेदन प्रक्रिया आवेदन शुल्क का निर्धारण

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ–20–14/05/बी/ग्यारह भोपाल, दिनांक 9.06.2005

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश

विषय :– मेगा प्रोजेक्ट हेतु आवेदन प्रक्रिया/आवेदन शुल्क का निर्धारण।

————0————

राज्य शासन द्वारा मेगा प्रोजेक्ट अंतर्गत ट्राईफेक को प्रस्तुत होने वाले आवेदन–पत्रों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया :–

नवीन उद्यमी के प्रकरण में –

– कंपनी की वित्तीय स्थिति के आंकलन हेतु कंपनी के बैंकर्स का प्रतिवेदन

नवीन उद्यमी के प्रकरण में –

– पिछले 3 वर्षों के कंपनी की बेलेन्स शीट
– संबंधित जिले के महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का परिचयात्मक प्रतिवेदन
– स्थापित परियोजना एवं प्रस्तावित को स्पष्ट करते हुये, ले आउट प्लान

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्धारित प्रपत्र पर जनरल प्रोजेक्ट इन्फरमेशन, वित्तीय आलिप्ती आदि की जानकारी भी आवेदक इकाई द्वारा प्रस्तुत की जावेगी।

मेगा प्रोजेक्ट की परियोजना लागत (स्थाई पूंजी निवेश)	**आवेदन शुल्क (रुपये में)**
25 करोड़ से अधिक, किन्तु 50 करोड़ तक (फूट एंड एग्रो प्रोसेसिंग, दुग्ध) उत्पादन, वन आधारित उद्योगों के प्रकरणों में रुपये 10 करोड़ से 50 करोड़	10,000/–
50 करोड़ से अधिक किन्तु 100 करोड़ तक	25,000/–
100 करोड़ से अधिक किन्तु 500 करोड़ तक	50,000/–
500 करोड़ से अधिक	1,00,000/–

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
एवं आदेशानुसार
हस्ता/–
(विश्वपति त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन,
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग

(x) म.प्र. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के शोध एवं अनुसंधान हेतु अनुदान नियम 2004

मध्यप्रदेश राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को शोध एवं अनुसंधान हेतु अनुदान नियम 2004

1. संक्षिप्त नाम – ये नियम मध्यप्रदेश राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को शोध एवं अनुसंधान हेतु अनुदान नियम – 2004 कहलायेंगे।

2. उद्देष्य – खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विभिन्न चरणों में प्रयुक्त तकनीकों के उन्नयन हेतु शोध एवं अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करना।

3. प्रयोज्यता एवं अवधि – ये नियम दिनांक 1 अप्रेल, 2004 से प्रभावशील होकर आगामी आदेश तक प्रवृत रहेंगे एवं संपूर्ण मध्यप्रदेश प्रयोज्य होंगे।

4. परिभाषा –

अ– खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक इकाईयां – से अभिप्रेत है ऐसी समस्त औद्योगिक इकाईयां, जो खाद्य पदार्थों के सभी प्रक्षेत्र यथा फल सब्जियां, दुग्ध उत्पाद, मांस, कुक्कुट, मत्स्य, खाद्यान्न, दालें, तिलहन एवं ऐसी अन्य कृषि – उद्यानिकी क्षेत्र की खाद्य उत्पादों का प्रसंस्करण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका मूल्य संवर्धन तथा शैल्फ (Shelf) लाईफ में अभिवृद्धि होती हो, जिसमें खाद्य पदार्थों की सुगंध एवं रंग, आलियोरेजिन्स, मसाले, नारियल, मशरूम, हॉप्स आदि भी सम्मिलित हैं।

ब – शोध एवं अनुसंधान – से अभिप्राय ऐसे शोध एवं अनुसंधान कार्य से है, जो इकाई द्वारा निर्मित उत्पादों हेतु निम्न सभी या किसी एक उद्देष्य की प्राप्ति हेतु किया गया हो –

(1) सभी प्रमुख प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण, संवेष्टन (packing) एवं भण्डारण (storage) से संबंधित प्रोद्योगिकीयों का उन्नयन, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त हो सकें।

(2) मध्यवर्ती एवं अंतिम खाद्य उत्पादों के उत्पादन हेतु प्रसंस्करण प्रोद्योगिकी का विकास, जिसमें प्रोटोटाईप उपकरण/पायलट संयत्रों का प्रारूप एवं निर्माण सम्मिलित है।

(3) खाद्यान्न एवं खाद्यान्न आधारित उत्पादों का पौष्टिकीकरण, जिससे जनसामान्य विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के पोषण स्तर में अभिवृद्धि हो सके एवं इसकी अनुमोदित की जाने वाली मात्रा का प्रकरणवार निर्धारण, सक्षम वित्तीय प्राधिकारी के अनुमोदन से किया जायेगा।

(2)

(1) देश के विभिन्न क्षेत्रों के परम्परागत खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का विकास।

(2) घरेलू एवं निर्यात दोनों प्रयोजनों हेतु परम्परागत एवं सामान्य खाद्यान्नों, दुग्ध उत्पादों आदि पर आधारित खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु अर्थक्षम नवीन प्रोद्योगिकीयों का विकास एवं ऐसे उत्पादों के उत्पादन हेतु संयंत्रों का प्रारूपण एवं विकास तथा ऐसी नवीन कम लागत की तकनीकों एवं संयंत्रों का विकास।

(3) ऐसे उत्पादों के विनिर्माण के लिए उपकरणों की डिजाईन का विकास, नवीन सस्ती संवेष्ठन तकनीकों एवं उपकरणों का विकास, विद्यमान संवेष्ठन की पद्धतियों, पदार्थ प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण के प्रचलित पद्धतियों का विश्लेषण कर उनके उन्नयन हेतु किये जाने वाले अनुसंधान।

(4) मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के निर्देशानुसार शोध संस्थाओं/विश्वविद्यालयों द्वारा निर्देशित शोध, जो संवेष्ठन/प्रसंस्करण हेतु कम लागत के स्वदेशी प्रोद्योगिकी का विकास, जिससे विभिन्न खाद्य पदार्थों में मूल्य संवर्धन हो सके।

(5) मांस एवं मांस के उत्पादों के विभिन्न कारकों का मानकीकरण जैसे वैक्टीरियोलॉजिकल मानक, परिरक्षण, मानक, एडीटिव्स, कीटनाशक अवशिष्ट आदि, एवं इस पर आधारित वाणिज्यिक महत्व के मूल्य संवर्धित उत्पादों का विकास।

स – निर्मित उत्पाद – से अभिप्रेत ऐसे उत्पादों से है, जो औद्योगिक इकाई द्वारा वस्तुतः उत्पादित किये जा रहे हो एवं संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा दिये गये पंजीयन प्रमाण पत्र के अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप हों।

5 – पात्रता –

इस अनुदान की पात्रता उन खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को होगी, जो इन नियमों की कंडिका 4 (अ) में वर्णित है एवं जिन्होंने दिनांक 01.04.2004 को अथवा इसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया हो तथा इन नियमों की कंडिका 4 (ब) में निहित किसी एक या अधिक उद्देष्यों की प्राप्ति हेतु शोध एवं अनुसंधान कार्य किया हो अथवा केन्द्र शासन या राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित शोध एवं अनुसंधानकारी संस्था, जिन्हें शासन द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

(3)

जो इकाईयाँ शोध एवं अनुसंधान कार्य स्वयं करेंगी, उन्हें अपनी प्रयोगशाला एवं अनुसंधानकर्ता की इंगित शोध एवं अनुसंधान हेतु सक्षमता तथा किये गये शोध एवं अनुसंधान कार्य का अभिप्रमाणत मध्यप्रदेष कॉउंसिल ऑफ साईन्स एण्ड टेक्नोलॉजी या केन्द्र शासन/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित शोध एवं अनुसंधान केन्द्र जिन्हें उद्योग विभाग द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया गया हो ।

6 – अनुदान की सीमा – इन नियमों की कंडिका क्रमांक 5 के अनुसार पात्र खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को, उनके द्वारा शोध एवं अनुसंधान में किये गये व्यय का 10 प्रतिशत, अधिकतम रुपये एक लाख तक, के अनुदान की पात्रता होगी।

7 – प्रक्रिया –

(अ) पात्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के स्वयं शोध एवं अनुसंधान कार्य करने की दशा में, कंडिका क्रमांक 5 में वर्णित प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे एवं शोध एवं अनुसंधान कार्य में हुए व्यय को चार्टर्ड एकाउंटेन्ट द्वारा सत्यापित करावेंगे।

(ब) किसी अन्य संस्था द्वारा कराये गये शोध कार्य पर हुए व्यय का सत्यापन चार्टर्ड एकाउंटेन्ट से करावेंगे।

(स) इस अनुदान हेतु पात्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उपरोक्त प्रमाण–पत्रों को पंजीबद्ध कर आवेदन प्राप्ति से 30 दिवस में पात्रता का परीक्षण एवं सत्यापन कर अनुदान स्वीकृति आदेश प्रसारित करेंगे।

8 – इन नियमों में अंतर्विष्ट प्रावधानों के होते हुए भी इन अनुदानों से संबंधित किसी भी दावे को मान्य अथवा अमान्य करने का अंतिम अधिकार आयुक्त, मध्यप्रदेश को होगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को उनके द्वारा शोध एवं अनुसंधान में किये गये व्यय पर अनुदान हेतु आवेदन पत्र

1.	इकाई का नाम एवं पूर्ण पता – (टेलीफोन नम्बर/फैक्स नम्बर/ई–मेल सहित)	
2.	इकाई का गठन (स्वामित्व/भागीदारी/प्रा.लि./लि. अथवा अन्य) संबंधी प्रमाण–पत्र की प्रति	
3.	इकाई के स्वामी/भागीदार/संचालक का नाम एवं पूर्ण पता	
4.	स्थायी पंजीयन/अनुज्ञा–पत्र/आई.ई.एम. क्रमांक एवं दिनांक (उत्पादों के विवरण सहित प्रति संलग्न करें)	
5.	इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक	
6.	शोध एवं अनुसंधान का उद्देष्य एवं विषय	
7.	(अ) ईकाई द्वारा शोध एवं अनुसंधान कार्य स्वयं करने की दशा में शोध कार्य को प्रमाणित करने वाली संस्था का नाम एवं पूर्ण पता। शोध कार्य में किये गये व्यय का विवरण (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण पत्र संलग्न करें) (ब) किसी अन्य संस्था से शोध एवं अनुसंधान कार्य कराये जाने की दशा में शोध एवं अनुसंधान कार्य को करने वाली संस्था का नाम एवं पूर्ण पता शोध कार्य में हुये व्यय का विवरण (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
8.	शोध एवं अनुसंधान की अवधि	
9.	शोध एवं अनुसंधान का परिणाम (लाभ)	
10.	चाही गई अनुदान राशि	
11.	संगठन द्वारा पूर्व में किये गये शोधों का विवरण निम्नानुसार के साथ संलग्न करें। 1. शोध का विषय 2. संगठन 3. वर्ष 4. किस राशि के लिये किया गया	
12.	म.प्र. शासन तथा/या अन्य किसी राज्य शासन/केन्द्र शासन से प्राप्त किये गये अनुदान का विवरण	
13.	अन्य विवरण जो (आवश्यक समझें)	

हस्ताक्षर

(स्वामी/भागीदार/संचालक का नाम)

दिनांक

बिन्दु क्रमांक 6 :–उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण –

क्र.	अभिलेख का नाम	अभिलेख का प्रकार एवं उसमें निहित जानकारियाँ	अभिलेख की अवधि
1.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की जानकारी एवं प्रक्रिया	सी.डी.	2003–04 की अवधि तक
2.	गार्ड फाइल	नस्ती में सभी संबंधित कक्षों की जैसे – लद्यु उद्योग कक्ष, वित्तीय सहायता कक्ष ,स्वरोजगार योजनाओं आदि, लेखा कक्ष सामान्य कक्ष अधोसंरचना विकास कक्ष आदि	आज दिनॉक तक की
3.	रजिस्टर	प्रस्तावित पंजीयक पंजी ,स्थाई पंजीयन पंजी ,अभिभावक पंजी सिंगल विंडो पंजी उद्योग सहायता समिति की पंजी स्वरोजगार योजनाओं की पंजी लेखा से संबंधित पंजीयां एस्कार्ट सर्विस संबंधी पंजी ए एवं बी आवक–जावक पंजी स्टाक रजिस्टर, अधोसंरचना विकास कक्ष संबंधी पंजियां(आवेदन प्राप्ति पंजी,हस्तांतरण आवेदन पंजी, किराया वसूली पंजी आदि)	आज दिनॉक तक की
4.	फाइल्स	प्रस्तावित पंजीयन नस्तीयाँ स्थाई पंजीयन नस्तियाँ स्वरोजगार योजनाओं के आवेदन कार्यालय में पदस्थ अधिकारी / कर्मचारी की सेवा संबंधी व्यक्तिगत नस्तियाँ	5 वर्ष तक की आज दिनॉक तक गत तीन वर्षों की आजदिनांक तक की
5.	पुस्तिकाऐं	कार्यालय में पदस्थ अधिकारी / कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाऐं एवं लायब्रेरी में संधारित पुस्तिका	
6.	मेन्युअल	विभाग द्वारा 03 मेन्यअल	

बिन्दु क्रमांक 7 :– उसकी नीति के सूत्रीकरण/प्रतिपादन अथवा उसके कार्यानवयन/परिपालन के संबंध में किसी प्रबंध/व्यवस्था की विशिष्टियां जो कि लोक सदस्यों द्वारा परामर्श किए जाने के लिए या उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के लिए मौजूद हैं/अस्तित्व में हैं

1– समिति का नाम– **जिला स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति**

2– सदस्यों के नाम–

1–जिला कलेक्टर–	**अध्यक्ष**
2–परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी	**उपाध्यक्ष**
3–महाप्रबधक,जि.व्या.उ.के.	**सदस्य**
4–म.प्र.राज्य विद्युत मंडल का जिले में पदस्थ वरिष्ठतम अधिकरी	**सदस्य**
5–नगर एवं ग्राम निवेश विभाग का जिला अधिकारी	**सदस्य**
6–म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम का प्रतिनिधि	**सदस्य**
7–श्रम विभाग के जिला अधिकारी	**सदस्य**
8–वाणिज्यक कर अधिकारी	**सदस्य**
9–प्रदूषण नियंत्रण मंडल के रीजनल अधिकारी	**सदस्य**
10–आयुक्त नगर निगम/नगर पालिका अधिकारी(जिला मुख्यालय के नगर पालिका/नगर निगम से)	**सदस्य**
11–अग्रणी बैक अधिकारी	**सदस्य**
12–राज्य शासन द्वारा नामांकित उद्योगों के दो प्रतिनिधि	

प्रस्ताव पत्र कमांक––––––
दिनांक––––––से भोपाल भेजे गये है

3– समिति के कार्य– समिति तीन करोड से कम लागत वाले निजीस निवेश प्रस्तावों से संबंधित निम्नाकिंत कार्यो केा सम्पादन हेतु सक्षम होगीः–

अ–अपने कार्यक्षेत्र के पूंजी निवेश प्रस्तावों को सैद्वान्तिक स्वीकृति देगें ।

ब– वित्तीय आंकलनों के अनुमोदन व स्वीकृतियों सहित ऐसे प्रकरणों में अनुमोदन जिन काा निस्तारणा संबंधित विभाग/संस्थास द्वारा निर्धारित समयावधिं में में नही किया गया यथा आवश्यक पंजीयन, अनुमतियां,अनापत्ति प्रमाणास पत्र ,लायसेंस,अनुदान स्वीकृतियां,परिसीमन,भूमि आबंटन/रूपांतरण खनन पट्टटा,विद्युत एवं पानी की उपलब्धि,वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत की जानेा वालीा सुविधाओं के संबंधित स्वीकृतियों (इनमें वित्तीय संस्थाओं के ऋण से संबंधित प्रकरण शामिल नहीं होगे)प्रकरण में होने वाले विलम्ब के संबंध में समिति विचार कर निर्देश जारी कर सकेगी ।

स–औद्योगिक अधोसंरचना का निर्माण/विस्तार/उननयन/संधारण विषयक प्रस्तावों की स्वीकृति जारी करना ।

द–विभिन्न विभागों द्वारा कार्य निष्पादन की प्रक्रियाओं में वांछित संशोधन के प्रस्ताव राज्य स्तरीय–निवेश संवर्धन साधिकार समिति को अग्रेषित करना ।

ई–अन्तविभागीय मामलों में जिनका उद्योगों के विकास पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव पडता हो विचार कर– सुझाव/निर्णय/निर्देश देना ।

समिति द्वारा सम्पादित कार्यो को राज्य निवेश संवर्धन साधिकार समिति को प्रतिवेदित करेगी तथा आ रही कठिनाईयों /बाधाओं से भी अवगत करायेगी ।

4–आमजन के लिये कार्यवाही विवरण की उपलब्धता – सभी संबंधितों को कार्यवाही विवरण की प्रति प्रेषित की जाती है,जिसकी सूचना प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से समाचार पत्रों को माध्यम से आमजन को उपलब्ध कराई जाती है ।

बिन्दु क्रमांक 8 :– उन बोर्डो/परिषदों कमेटियों तथा अन्य निकायों जिनमें 2 या अधिक व्यक्ति उनके गठन के भाग के रूप में अथवा उसके परामर्श के आशय के लिए रखे गये हैं का विवरण और इस बात का विवरण कि क्या उन बोर्डों/परिषदों/कमेटियों तथा अन्य निकायों के संम्मिलन पब्लिक के लिए खुले हैं और क्या ऐसे सम्मिलनों के ब्यौरे/विवरण पब्लिक के लिए पहॅचयोग/अभिगम्य हैं :–

कमांक	बांडी का नाम	सदस्यों के पद नाम	योग्यता
1	जिला स्तरीय सुविधा समिति	क–कलेक्टर	अध्यक्ष
		ख–परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी	उपाध्यक्ष
		ग–संबंधित म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम का प्रबंधक संचालक	सदस्य
		घ–जिला कोषाधिकारी	सदस्य
		ड–संबंधित म.प्र. वित्त निगम का शाखा प्रबंधक	सदस्य
		च–जिले के लीड बैक का प्रतिनिधि	सदस्य
		छ–महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्यसचिव
2	जिला स्तरीय चयन समिति (रानीदुर्गावती मार्जिन मनी योजना हेतु)	1–महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	अध्यक्ष
		2–जिला रोजगार अधिकरी	सदस्य
		3–जिला अग्रणी बैक के प्रतिनिधि	सदस्य
		4–बैकों के प्रतिनिधि	सदस्य
		5–आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के जिला प्रतिनिधि	सदस्य
		6–म0प्र0 राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्ति एवं विकास निगम के जिला प्रतिनिधि	सदस्य
		7–जिला समन्वयक उद्यमिता विकास केन्द्र	सदस्य
		8–जिला ग्रामोद्योग अधिकारी	सदस्य
		9–परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण	सदस्य
		10–प्रबंधक–स्वरोजगार जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्यसचिव
3	समीक्षा समिति (पं0 दीनदयाल स्वरोजगार योजना)	1–कलेक्टर	अध्यक्ष
		2–जिला अग्रणी बैक अधिकारी	सदस्य
		3–तीन प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि	सदस्य
		4–सेडमेप एवं एम0 पी0 कांन के जिला प्रतिनिधिं	सदस्य
		5–एस0 आई0 एम0 आई0 के प्रतिनिधि	सदस्य
		6–जिला महिला बाल विकास अधिकारी	सदस्य
		7–जिला रोजगार अधिकारी	सदस्य
		8–पालीटेक्निक कालेज एवं आई0 टी0 आई0 के प्रतिनिधि	सदस्य
		9–महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्यसचिव
4	म0 प्र0 रोजगार निर्माण	1–कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष

	बोर्ड जिला इकाई (पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के प्रकरणों में चयन हेतु)	2–मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत 3–महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र 4–उपसंचालक पंचायत चिकत्सा से 5–उपसंचालक ग्रामोद्योग 6–उपसंचालक कृषि 7–जिला रोजगार अधिकारी 8–कार्यपालन यंत्री ग्रा0 यां0 सेवा	मुख्य कार्यक्रम समन्वयक समन्वयक समन्वयक समन्वयक समन्वयक

कमांक	बांडी का नाम	सदस्यों के पद नाम	योग्यता
5	टास्क फोर्स कमेटी– (प्रधानमंत्री रोजगार , दीनदयाल रोजगार योजना के प्रकरणों के चयन हेतु)	1–महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र 2–जिला अग्रणी बैक अधिकारी 3–जिला रोजगार अधिकारी 4–जिले के दो राष्ट्रीयकृत बैक (जो जिले का प्रतिनिधित्व करते है) 5–प्रबंधक ऋण जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सचिव
6	जिला स्तरीय प्रधानमंत्री रोजगार कमेटी (स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा हेतु)	1–कलेक्टर 2–मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत 3–जिला रोजगार अधिकारी 4–जिला अग्रणी बैक अधिकारी 5–संचालक,एस0आई0एस0आई0 6–महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सागर	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्यसचिव

बन्दु क्रमांक 9 :– इसके अधिकारियों और कर्मचारियों / कर्मचारों / नियोजतों की निर्देशिका

कमांक	अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम	पद	पता
1	श्री कृष्णकान्त बख्शी	महाप्रबंधक	जिला व्यापार एव उद्योग केन्द्र तिली रोड सागर दूरभाष–आफिस 236675 घर–221792
2	श्री एन0 पी0 तिवारी	प्रबंधक	आफिस 236675
3	श्री पंकज दुबे	प्रबंधक	———''———
4	श्री जे0के0श्रीवास्तव	प्रबंधक	———''———
5	श्री राजेश अग्रवाल	प्रबंधक	———''———
6	श्री ए0 के0 जैन	प्रबंधक	———''———
7	श्री के0 बी0 पटैल	सहायक प्रबंधक	———''———
8	श्री आर0 एम0 खान	सहायक प्रबंधक	———''———
9	श्री पी0 के0 उपाध्याय	सहायक प्रबंधक	———''———
10	श्री अरूण कुमार खरे	सहायक प्रबंधक	———''———
11	श्री शिवराम राजपूत	सहायक प्रबंधक	———''———
12	श्री पी0 एन0 अहिरवार	सहायक ग्रेड–1	———''———

13	श्री नवीन सिह ठाकुर	स्टेनोग्राफर	———''———
14	श्रीमतिनीला तिवारी	सहायक ग्रेड–2	———''———
15	श्री गणेश शर्मा	स्टेनोटाइपिस्ट	———''———
16	श्री पी0 के0 जैन	सहायक ग्रेड–3	———''———
17	श्री केदार नाथ साहू	सहायक ग्रेड–3	———''———
18	श्री आर0 एन0 एस0 सेगर	सहायक ग्रेड–3	———''———
19	श्री बंसत सिसोदिया	सहायक ग्रेड–3	———''———
20	श्री शैलेन्द्र खोपडागडे (आदिवासी वित्त वि0निगम)	सहायक ग्रेड–3	———''———
21	श्री आर0 एन0 श्रीवास्तव	वाहन चालक	———''———
22	श्री कामता प्रसाद कोष्टी	भृत्य	———''———
23	श्रीमतिराधा रानी रैकवार	भृत्य	———''———
24	श्रीमति सरला विश्वकर्मा	भृत्य	———''———
25	श्री अशोक पटेल	भृत्य	———''———
26	श्री रज्जू प्रजापति	औघोगिक संस्थान चौकीदार	———''———

बिन्दु क्रमांक 10 :– मासिक पारिश्रमिक जो उसके प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया गया है तथा उसके विनियमों उपबंधित क्षतिपूर्ति/मुआवजे/प्रतिकर की पद्धति भी

कमांक	अधिकारियो/कर्म0 के नाम	कुल वेतन	क्षतिपूर्ति भत्ता
1	श्री कृष्णकान्त बख्शी, महाप्रबंधक	22240.00	
2	श्री एन0 पी0 तिवारी प्रबंधक	18080.00	
3	श्री पंकज दुबे प्रबंधक	17201.00	
4	श्री जे0के0श्रीवास्तव प्रबंधक	17201.00	
5	श्री राजेश अग्रवाल प्रबंधक	17201.00	
6	श्री ए0 के0 जैन प्रबंधक	16760.00	
7	श्री के0 बी0 पटैल सहायक प्रबंधक	10720.00	
8	श्री आर0 एम0 खान सहायक प्रबंधक	11840.00	
9	श्री पी0 के0 उपाध्याय सहायक प्रबंधक	9400.00	
10	श्री अरूण कुमार खरे सहायक प्रबंधक	9400.00	
11	श्री शिवराम राजपूत सहायक प्रबंधक	9400.00	
12	श्री पी0 एन0 अहिरवार सहायक ग्रेड–1	8600.00	
13	श्री नवीन सिह ठाकुर स्टेनोग्राफर	7601.00	

14	श्रीमतिनीला तिवारी सहायक ग्रेड–2	8480.00	
15	श्री गणेश शर्मा स्टेनोटाइपिस्ट	6900.00	रूपये 125.00 विशेष वेतन
16	श्री पी0 के0 जैन सहायक ग्रेड–3	8000.00	
17	श्री केदार नाथ साहू सहायक ग्रेड–3	7187.00	विकलांग भत्ता रूपये 150.00 कुल वेतन में शामिल
18	श्री आर0एन0एस0 सेगर सहायक ग्रेड–3	7264.00	
19	श्री बंसत सिसोदिया सहायक ग्रेड–3	5890.00	
20	श्री शैलेन्द्र खोब्रागडे सहायक ग्रेड–3 (आदिवासी वित्त वि0निगम)	3050.00	
21	श्री आर0 एन0 श्रीवास्तव वाहन चालक	7550.00	वर्दी धुलाई भत्ता रूपये 30. 00 कुल वेतन में शामिल
22	श्री कामता प्रसाद कोष्टी भृत्य	5150.00	वर्दी धुलाई भत्ता रूपये 30. 00 कुल वेतन में शामिल
23	श्रीमतिराधा रानी रैकवार भृत्य	5054.00	वर्दी धुलाई भत्ता रूपये 30. 00 कुल वेतन में शामिल
24	श्रीमति सरला विश्वकर्मा भृत्य	4382.00	वर्दी धुलाई भत्ता रूपये 30. 00 कुल वेतन में शामिल
25	श्री अशोक पटेल भृत्य	4382.00	वर्दी धुलाई भत्ता रूपये 30. 00 कुल वेतन में शामिल
26	श्री रज्जू प्रजापति औघो0 संस्थान चौकीदार	4804.00	वर्दी धुलाई भत्ता रूपये 30. 00 कुल वेतन में शामिल

बिन्दु क्रमांक – 11 कार्यालय को प्राप्त बजट आवंटन का विवरण

क्र.	बजटशीर्ष	कार्य विवरण	वर्ष	प्राप्त आवंटन	व्यय
1	मध्यप्रदेश शाासन का बजटशीर्ष मांग संख्या –11 2851–ग्रामोद्योग और लघु उद्योग 800– अन्य व्यय 0801–केन्द्र क्षेत्रीय योजना 8325–प्रधानमंत्री रोजगार योजना 42– सहायक अनुदान 007– अन्य	प्रधानमंत्री रोजगार योजना(ट्रेनिंग)	2005–06	318500.00	1673.00
2	मांग संख्या–64 अनु0जा0 के लिए विशेष घटक योजना 2851–ग्रामोद्योग और लघु उद्योग 102– लघु उद्योग 0103– अनु.जा. के लिए विशेष घटक योजना 8852– रानी दुर्गावती मार्जिनमनी योजना 42– सहायक अनुदान 007– अन्य	R.D.S. (SC) मार्जिनमनी	––''––	645000.00	157537.00
3	मांग संख्या–41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	R.D.S. (ST) मार्जिनमनी	––''––	238000.00	NIL

	2851– ग्रामोद्योग और लघुउद्योग 102– लघु उद्योग 0102– आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 8852– रानी दुर्गावती मार्जिनमनी योजना 42– सहायक अनुदान 007– अन्य	**R.D.S. (ST)** सेमीनार		7450.00	**NIL**
4	''बजट शीर्ष'' मांग संख्या– 11 2239– श्रम तथा रोजगार 02– रोजगार सेवायें 101– रोजगार सेवायें 9999– 7878– दीनदयाल रोजगार योजना 42– सहायक अनुदान 007– अन्य .	**D.D.R.Y Marginmony**	––''––	910000.00	**NIL**
5	लेखा शीर्ष – मांग संख्या– 11 2851– ग्रामोद्योग और लघु उद्योग 102– लघु उद्योग 0101– राज्य आयोजना(सामान्य) 3801– लघु उद्योग इकाईयों को ब्याज अनुदान 42– आर्थिक सहायक अनुदान (ब्याज अनुदान)	ब्याज अनुदान	––''––	26000.00	**NIL**
6	लेखा शीर्ष – मांग संख्या– 11 2852– उद्योग 0101– राज्य आयोजना 9068– औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान 14– आर्थिक सहायता सहायता अनुदान	लागत पूंजी अनुदान	––''––	अप्राप्त	**NIL**
7	मांग संख्या– 11 2852– ग्राम और लघु उद्योग 80– 800– अन्य व्यय 0101– राज्य आयोजना (सामान्य) 0711– औद्योगिक तथा परियोजना संबंधी सर्वेक्षण की योजना 22– 12–	परियोजना व्यय प्रतिपूर्ति अनुदान	––''––		**NIL**
8	मांग संख्या – 11 शीर्ष 2851–ग्राम और लघु उद्योग 200 – अन्य ग्रामोद्योग 111– केन्द्र प्रवर्तित योजना 1464– जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना (राज्य का हिस्सा) 11– वेतन	अधिकारी/कर्मचारियों का वेतन मंहगाईभत्ता अन्य यात्रा व्यय	––''––	1675000.00 946000.00 80000.00	1022753.00 893211.00 53055.00 10092.00

				25000. 00	
9	मांग संख्या – 11 2851–ग्रामोद्योग और लघु उद्योग 0801 – क्षेत्रीय योजना 3798– लघु उद्योग इकाईयों की गणना के अंतर्गत डाटा बैंक सेल की स्थापना 11– वेतन	कार्यपालिक अधिकारी/कर्मचारियों का वेतन मंहगाईभत्ता अन्य यात्रा व्यय	––''––	66000.00 36300.00 1250.00 10000.00	37000.00 31962.00 925.00 2349.00
10	मांग संख्या – 11 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग 00 – उप मुख्य शीर्ष 200– अन्य ग्रामोद्योग 9999–सेगनेट 1464– योजना शीर्ष 11– वेतन भत्ते 002– कार्यभारित एवं आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों का वेतन मतदेय भारित मतदेय	कार्यभारित/आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों का वेतन	––''––	45000.00	62060.00
11	मांग संख्या – 11 शीर्ष 2851–ग्राम और लघु उद्योग 200 – अन्य ग्रामोद्योग 111– केन्द्र प्रवर्तित योजना 1464– जिला उद्योग केन्द्र की स्थापवना (राज्य का हिस्सा) 009	चिकित्सा व्यय	––''––	2000.000	NIL
12	मांग संख्या – 11 शीर्ष 2851–ग्राम और लघु उद्योग 200 – अन्य ग्रामोद्योग 111– केन्द्र प्रवर्तित योजना 1464– जिला उद्योग केन्द्र की स्थापवना (राज्य का हिस्सा) 011–	त्यौहार अग्रिम	––''––	अप्राप्त	NIL
13	मांग संख्या – 11 शीर्ष 2851–ग्राम और लघु उद्योग 200 – अन्य ग्रामोद्योग 111– केन्द्र प्रवर्तित योजना 1464– जिला उद्योग केन्द्र की स्थापवना (राज्य का हिस्सा) 016–	अनाज अग्रिम	––''––	अप्राप्त	NIL
14	मांग संख्या – 11 शीर्ष 2851–ग्राम और लघु उद्योग 200 – अन्य ग्रामोद्योग 111– केन्द्र प्रवर्तित योजना 1464– जिला उद्योग केन्द्र की स्थापवना (राज्य का हिस्सा) 001–	डाक तार व्यय	––''––	5000.00	808.00
15	मांग संख्या – 11 शीर्ष 2851–ग्राम और लघु उद्योग 200 – अन्य ग्रामोद्योग 111– केन्द्र प्रवर्तित योजना 1464– जिला उद्योग केन्द्र की स्थापवना (राज्य का हिस्सा)	टेलीफोन व्यय	––''––	10000.00	9735.00

	002–				
16	मांग संख्या – 11 शीर्ष 2851–ग्राम और लघु उद्योग 200 – अन्य ग्रामोद्योग 111– केन्द्र प्रवर्तित योजना 1464– जिला उद्योग केन्द्र की स्थापवना (राज्य का हिस्सा) 003–	फर्नीचर व्यय	––''––	1000.00	NIL
17	मांग संख्या – 11 शीर्ष 2851–ग्राम और लघु उद्योग 200 – अन्य ग्रामोद्योग 111– केन्द्र प्रवर्तित योजना 1464– जिला उद्योग केन्द्र की स्थापवना (राज्य का हिस्सा) 004–	बुक्स	––''––	500.00	NIL
18	मांग संख्या – 11 शीर्ष 2851–ग्राम और लघु उद्योग 200 – अन्य ग्रामोद्योग 111– केन्द्र प्रवर्तित योजना 1464– जिला उद्योग केन्द्र की स्थापवना (राज्य का हिस्सा)	बिजली व्यय	––''––	10000.00	9685.00
19	मांग संख्या – 11 शीर्ष 2851–ग्राम और लघु उद्योग 200 – अन्य ग्रामोद्योग 111– केन्द्र प्रवर्तित योजना 1464– जिला उद्योग केन्द्र की स्थापवना (राज्य का हिस्सा) 006–	बर्दी व्यय	––''––	अप्राप्त	NIL
20	मांग संख्या – 11 शीर्ष 2851–ग्राम और लघु उद्योग 200 – अन्य ग्रामोद्योग 111– केन्द्र प्रवर्तित योजना 1464– जिला उद्योग केन्द्र की स्थापवना (राज्य का हिस्सा) 007–	स्टेशनरी व्यय	––''––	10000.00	1730.00
21	मांग संख्या – 11 शीर्ष 2851–ग्राम और लघु उद्योग 200 – अन्य ग्रामोद्योग 111– केन्द्र प्रवर्तित योजना 1464– जिला उद्योग केन्द्र की स्थापवना (राज्य का हिस्सा) 009–	पी0ओ0 एल0	––''––	25000.00	24985.00

बिन्दु क्रमांक 12:– ***A- LIST OF PROGRAMMES***

(1) राज्य लागत पूंजी अनुदान
(2) ब्याज अनुदान
(3) परियोजना व्यय प्रतिपूर्ति

(4) नाबार्ड योजना
(5) दीनदयाल रोजगार योजना
(6) रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना

बिन्दु क्रमांक 12.1 :– राज्य लागत पूंजी अनुदान

मध्य प्रदेश शासन द्वारा लघु/मध्यम एवं वृहद उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान योजना उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्ययोजना अंतर्गत नवीन अनुदान योजना लागू की गई है जो कि दिनांक 01.04.2004 से 31.03.2009 तक प्रभावशील रहेगी ।

योजना के लाभ की पात्रता ऐसे उद्योगों को आवेगी जो कि नगर/शहर जिसकी आबादी वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार 2.00 लाख से अधिक न हो तथा नगर निगम/नगरपालिका सीमा के 8 कि0मी0 की परिधि से बाहर हों अथवा औद्योगिक क्षेत्र/संस्थान/औ0 विकास केन्द्र में स्थापित हों । अनुदान की पात्रता रखने वाली औद्योगिक इकाई को उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से एक वर्ष की समयावधि के अन्दर अपना पूर्ण आवेदन पत्र जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य है । तदनुसार औद्योगिक इकाईयों को मान्य स्थायी पूंजी निवेश का 15 प्रतिशत तक अनुदान राशि का लाभ प्रदान किया जाता है :–

अनुदान योजना हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित है :–

(1) विभाग में स्थायी रूप से पंजीकृत हो । वृहद/मध्यम उद्योगों के प्रकरण में भारत शासन से प्राप्त आशय पत्र/लायसेंस/आई.ई.एम. आदि अभि–स्वीकृति प्राप्त हों ।
(2) अन्य विभागों से आवश्यक पंजीयन/अनुमतियां प्राप्त हों
(3) भूमि–भवन/यंत्र–संयंत्र संबंधी व्यय के देयक/रसीद प्रस्तुत करें ।
(4) पूंजी निवेश संबंधी सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र
(5) इकाई में लगने वाले कच्चेमाल की आवश्यकता/विवरण प्रथम क्रय एवं विक्रय संबंधी प्रमाणीकरण । आवेदन दिनांक तक उत्पादन, क्रय,विक्रय संबंधी विवरण ।

उपरोक्त आवश्यक दस्तावेजों सहित इकाई द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने उपरांत विभाग के अधिकारी द्वारा इकाई का स्थल निरीक्षण किए जाने एवं निरीक्षण अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर मान्य स्थायी पूंजी निवेश का 15ः प्रतिशत अधिकतम रूपये 15.00 लाख तक ''सी'' श्रेणी जिला हेतु पात्रता आती है ।

शासन द्वारा पूंजी निवेश अनुदान योजना 2004 अंतर्गत कुल 61 अपात्र उद्योगों की सूची जारी की गई है जिन्हें अनुदान योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता ।

अनुदान प्रकरण के निराकरण की प्रक्रिया :–

निरीक्षण/अनुशंसा उपरान्त लघु उद्योग श्रेणी के प्रकरण कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं , समिति से स्वीकृति उपरान्त आवंटन उपलब्ध होने पर इकाई के पक्ष में अनुदान राशि का वितरण किया जाता है । मध्यम/वृहद उद्योग इकाईयों के प्रकरण में जिला स्तर पर प्रकरण में निरीक्षण/अनुशंसा उपरान्त राज्य स्तरीय समिति को विचारार्थ प्रेषित किए जाते हैं ।

बिन्दु क्रमांक 12.1 :– ब्याज अनुदान योजना –

नवीन औद्योगिक संवर्धन नीति 2004 एवं कार्ययोजना अंतर्गत लघु/मध्यम एवं वृहद उद्योगों को नवीन ब्याज अनुदान योजना का क्रियान्वयन किया गया है । तदनुसार औद्योगिक इकाईयों द्वारा उद्योग स्थापनार्थ की गई वित्तीय व्यवस्था अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने पर निम्नानुसार ब्याज अनुदान की पात्रता आती है :–

जिले की श्रेणी	ब्याज अनुदान राशि (लाख रूपये में)		
	अनुदान की अधिकतम राशि	अवधि	छूट की दर

पिछड़ा वर्ग ''अ''	10.00	5 वर्ष	3: प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग ''ब''	15.00	6 वर्ष	4: प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग ''स''	20.00	7 वर्ष	5: प्रतिशत
शून्य उद्योग विकास खण्ड (छप्ठ)	20.00	7 वर्ष	5: प्रतिशत

इकाईयों को ब्याज अनुदान की पात्रता प्रथम ऋण वितरण दिनांक से प्रभावशील होगी उक्त लाभ इकाई द्वारा नियमित ऋण पुर्नभुगतान की स्थिति में उपलब्ध कराया जाता है तथा अनुदान की पात्रता शासन द्वारा घोषित अपात्र उद्योग को छोड़कर शेष उद्योगों हेतु होगी । अनुदान प्रक्रिया :–

वित्तीय संस्था से प्राप्त पूर्ण अनुदान दावों पर इकाई की वर्तमान स्थिति संबंधी निरीक्षण प्रतिवेदन/अनुशंसा उपरांत प्रकरण में महाप्रबंधक स्तर से स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है तथा संचालनालय से प्राप्त आवंटन अनुसार इकाईयों के पक्ष में वित्तीय संस्था को भुगतान किया जाता है । वित्तीय संस्था को भुगतान किया जाता है । वित्तीय संस्था द्वारा अनुदान राशि का समायोजन इकाई के टर्मलोन खाते में किया जाता है तत्संबंधी वित्तीय संस्था से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाता है ।

उल्लेखनीय है कि बैंक द्वारा प्रथमबार इकाई के पक्ष में अनुदान दावा प्रस्तुत करने पर क्लेम पत्रक के साथ इकाई के पक्ष में जारी ऋण स्वीकृति पत्रक (निर्धारित प्रपत्र में), उद्योग विभाग का पंजीयन प्रमाण–पत्र, बैंक ऋण भुगतान संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है ।

<u>बिन्दु क्रमांक 12.3</u> :–परियोजना व्यय प्रतिपूर्ति

मध्यप्रदेश की उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्ययोजना के परिपेक्ष्य में राज्य शासन के आदेश क्रमांक 14980/4443/11/ब दिनांक 9.11.1973 से जारी परियोजना प्रतिवेदन प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत दिनांक 1.4.2004 के पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले उद्योगों कों परियोजना प्रतिवेदन व्यय प्रतिपूर्ति निम्नानुसार देय होगी :–

क0	उद्योगों की श्रेणी	परियोजना लागत का प्रतिशत	अधिकतम राशि रूपये
1.	लघु उद्योग	1.00 प्रतिशत	3.00 लाख
2.	वृहद एवं मध्यम उद्योग	0.5 प्रतिशत	3.00 लाख

2– इस योजना के अंमतर्गत नवीन उद्योगों को प्रदत्त सुविधाएं कतिपय उद्योगों को उपलब्ध नहीं होगी यथा, स्लॉटर हाउस, एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स (पल्प पर आधारित कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़कर) तम्बाकू एवं तम्बाकू पर आधारित उत्पाद, मदिरा, पान मसाला, गुटखा, परम्परागत उद्योग इत्यादि । (सूची राज्य शासन द्वारा शीघ्र जारी की जावेगी) शासन द्वारा आवश्यक होने पर समय–समय पर यह सूची संशोधित की जावेगी ।

3– पूर्व स्थापित उद्योगों द्वारा क्षमता विस्तार/डायवर्सीफिकेशन/तकनीकी उन्नयन पर यदि पूर्व में किये गये स्थायी पूंजी निवेश के न्यूनतम 50 प्रतिशत के तुल्य अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश किया जाता है तो ऐसी इकाइयों को अतिरिक्त क्षमता विस्तार /डायवर्सीफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन एवं पूंजी निवेश पर नई इकाईयों के समान परियोजना प्रतिवेदन व्यय प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जायेगी । किन्तु अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश की राशि 5.00 करोड़ से अधिक की होना अनिवार्य होगा, साथ ही इकाई द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता विगत 3 वर्षों में किये गये औसत उत्पादन से अधिक के अतिरिक्त उत्पादन पर ही सुविधा का लाभ दिया जायेगा । जिन इकाईयों द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं किया गया हो तो उन्हें विस्तार योजना का लाभ नहीं मिलेगा ।

4— उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्ययोजना अंतर्गत विशिष्ट उद्योगों जो निम्नानुसार हैं , को परियोजना प्रतिवेदन पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति की जावेगी :—

(अ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (मध्यप्रदेश शासन के पृथक आगम विभाग द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक 16.6.89—ग्यारह—ब—दिनांक 17 जुलाई 1989 के एनेक्जर—111 के अनुसार उत्पाद) सूची परिशिष्ट अ अनुसार

(ब) औद्योगिक एवं वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) संदर्भित बीमार वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को प्रबंधन परिवर्तन के द्वारा अधिग्रहित कर अथवा क्रय कर पुनर्वासित करने पर बी.आई.एफ.आर. द्वारा परिसमापन मत के उपरांत लिक्वीडेशन में लंबित उद्योग तथा राज्य शासन के निगमों एम.पी.स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन या म0 प्र0 वित्त निगम द्वारा इकाईयों को क्रय/अधिग्रहित करने के पश्चात अन्य इकाई या कंपनी को विक्रय करने पर यदि पुनर्वासित इकाई के स्थायी पूंजी निवेश में अधिग्रहणकर्ता/क्रयकर्ता द्वारा दिनांक 1.4.2004 को या उसके पश्चात किया गया नवीन पूंजी निवेश पूर्व पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत से अधिक होता है तथा इकाई द्वारा नवीन पूंजी निवेश हेतु परियोजना तैयार करता है तो ऐसी इकाईयों को उक्त परियोजना प्रतिवेदन में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति नवीन इकाई के समान की जावेगी ।

5— योजना में उल्लेखित जिला उद्योग केन्द्र के स्थान पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र स्थापित किया जाता है ।

6— योजना की प्रचलित शेष शर्तें यथावत् रहेगी ।

7— परियोजना प्रतिवेदन जिन संस्थाओं से तैयार कराया जाना है वे ऐजेंसियां राज्य शासन अथवा भारत सरकार से अनुमोदित संस्थाएं होना चाहिए जैसे कि अखिल भारतीय स्तर की वित्तीय संस्थाएं/मध्य प्रदेश वित्त निगम/एम.पी. कॉन/सीईडी एमएपी/बैंक्स आदि ।

इस प्रयोजन के लिए वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा उनके यू0ओ0 क्रमांक 342/आर.490/ब—2 दिनांक 03.05.05 से सहमति प्रदान की गई है ।

बिन्दु क्रमांक 12.4 :— नाबार्ड योजना

नाबार्ड योजनांतर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आदिवासी वित्त एवं विकास निगम मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है ।

2— आवेदन फार्म कार्यालय द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं ।

3— प्राप्त आवेदन पत्रों को परीक्षण उपरांत बैंकों को प्रेषित किया जाता है ।

4— बैंकों से ऋण स्वीकृत/वितरण करने के उपरान्त बैंकों द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुदान की मांग करने पर चैक के माध्यम से अनुदान राशि प्रेषित की जाती है ।

5— अधिकतम अनुदान की राशि रूपये 10000.00 प्रति हितग्राही होगी ।

6— नाबार्ड योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2005—06 हेतु लक्ष्य एवं आवंटन अप्राप्त है ।

बिन्दु क्रमांक 12.5 :— ***दीनदयाल रोजगार योजना :—***

दीनदयाल रोजगार योजना

प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापना हेतु प्रेरित करने एवं सहायता करने के लिए वर्तमान में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से लाभांवित किया जा रहा है परन्तु इस योजना के अन्तर्गत रु. 40 हजार वार्षिक आय से अधिक के परिवार के बेरोजगार युवक युवतियों को लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसी प्रकार विभिन्न निगमों की स्वरोजगार योजनाओं में विशिष्ट वर्ग अथवा आय के हितग्राहियों को ही लाभ प्राप्त होता है। उक्त सभी योजनाओं की पात्रता सामान्यतः शहरी एवं ग्रामीण गरीबी रेखा की आय से जुडी हुई है। जबकि प्रदेश में मध्यम आय वर्ग के परिवार के षिक्षित बेरोजगार युवक—युवतियों का प्रतिशत सर्वाधिक है।

प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को दो वर्ष तक रु. 300/— प्रतिमाह की दर से कुल रु. 7200/— बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। इस योजना से युवाओं को तात्कालिक आय तो प्राप्त हो जाती है परन्तु उससे न तो स्वरोजगार स्थापित होता है और न ही इस ओर प्रेरित किया जाना सम्भव होता है।

अतः उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो जाता है कि प्रदेश में संभावनापूर्ण उद्यमियों के एक बहुत बडे वर्ग के ऐसे बेरोजगार युवक युवतियां जो मध्यम आय वर्ग के परिवार के सदस्य हैं एवं विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में निर्धारित आय सीमा से अधिक आय होने के एकमात्र कारण से पात्रता नही रखते हैं, को स्वरोजगार स्थापना हेतु प्रेरित करने के लिए दीनदयाल रोजगार योजना के नाम से एक अभिनव योजना प्रारंभ की जाने हेतु राज्य शासन स्तर से पहल की जावे।

योजना का उद्देश्य षिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापना हेतु बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण के विरुद्ध अपेक्षित मार्जिन मनी को जमा करने में सहायता करना है।

दीनदयाल रोजगार योजना का स्वरूप

क्र	योजना के बिन्दु	विवरण
1	योजना का नाम	दीनदयाल रोजगार योजना
2	योजना का प्रारंभ	वर्ष 2004–05 में योजना प्रारंभ करने की घोषणा दिनांक से।
3	योजना का उद्देश्य	उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय के क्षेत्र में केवल नवीन इकाईयों/ गतिविधियों के माध्यम से स्वरोजगार स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु बैंकों के माध्यम से लक्ष्य निश्चित कर ऋण उपलब्ध कराना एवं मार्जिन मनी की सहायता अनुदान के रूप में देना।
4	पात्रता	1 मूल निवासीः– मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। 2 आयुः– आवेदन दिनांक को आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य हो । 3 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः– 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा आई.टी.आई. उत्तीर्ण हो। 4 आय :– आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपये 1.50 लाख से अधिक नहीं हो। टीपः परिवार से आशय आवेदक/आवेदिका के पति/पत्नि एवं आश्रित बच्चे अथवा आवेदक/ आवेदिका के अविवाहित होने पर उसके माता–पिता एवं अविवाहित भाई–बहन से है। 5 रोजगार कार्यालय में पंजीयनः– शिक्षित बेरोजगार जिसका रोजगार कार्यालय में आवेदन दिनांक को जीवित पंजीयन हो।
5	सहायता	हितग्राही को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत के अनुसार निम्नानुसार मार्जिन मनी सहायता स्वीकृत की जा सकेगी :– उद्योग क्षेत्र– स्वीकृत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, अधिकतम रु. 40,000/–। सेवा क्षेत्र– स्वीकृत परियोजना लागत का 7.5 प्रतिशत, अधिकतम रू. 15000/–। व्यवसाय क्षेत्र– स्वीकृत परियोजना लागत का 5 प्रतिशत, अधिकतम रु. 7500/–। टीपः– (1) उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत रुपये 1 लाख तक की स्वीकृत परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत अधिकतम रु. 7500/– तक की मार्जिन मनी की पात्रता होगी। (2) योजनांतर्गत मार्जिन मनी की कुल सहायता राशि, हितग्राही द्वारा लगाई जा रही कुल राशि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । (3) ऐसे आवेदकों को जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक या इससे अधिक हो, उन्हें उद्योग या सेवा गतिविधि हेतु उपरोक्त निर्धारित

क्र	योजना के बिन्दु	विवरण
		प्रतिशत अनुसार अधिकतम सीमा क्रमशः रु. 50,000/– एवं रु. 25,000/– तक मार्जिन मनी सहायता की पात्रता होगी।
6	प्राथमिकता–	1 आईटीआई/डिप्लोमा/इंजीनियरिंग अथवा अन्य मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थाओं से प्रशिक्षित आवेदक। 2. उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक। 3. महिला आवेदनकर्ता। 4. आवेदक द्वारा औद्योगिक गतिविधि की स्थापना। 5. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सर्वे सूची में अंकित हितग्राही।
7	पात्र गतिविधिया	उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय से संबंधित समस्त उद्यम/गतिविधिया। उद्योग एवं सेवा के अंतर्गत वे गतिविधियॉ मान्य होगी जो जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पंजीकृत/मान्य की गयी हो।
8	आवेदन प्रक्रिया	इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र निःशुल्क होगा।
9	आवेदन पंजीबद्ध करना	सभी आवेदन पत्रों को पंजीबद्ध किया जाएगा। आवेदन पत्र पूर्ण अथवा अपूर्ण की जानकारी हितग्राही को दी जावेगी। अपूर्ण आवेदन पत्र को पूर्ण कराने की कार्यवाही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र स्तर पर की जावेगी। आवेदन के साथ प्रस्तावित गतिविधियों की प्रोजेक्ट प्रोफाइल / योजना की प्रति भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जावेगी।
10	आवेदन पत्र बैक प्रेषित करना	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा हितग्राही से प्राप्त आवेदन पत्र एवं परियोजना प्रतिवेदन को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए गठित टास्क फोर्स समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।जिला उद्योग केन्द्र द्वारा समिति के अनुमोदन के पश्चात आवेदन संबंधित बैंक (यथा संभव हितग्राही की इच्छा के अनुरूप) को अनुशंसा के साथ अग्रेषित किए जावेगे तथा बैंक को योजनांतर्गत मार्जिन मनी की पात्रता के संबंध में अवगत कराया जाएगा। इसकी सूचना हितग्राही को दी जावेगी 30 कार्य दिवस में बैक से प्रकरण के निराकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त न होने पर जिला स्तर पर गठित समीक्षा समिति के समक्ष लंबित प्रकरणों के संबंध में जानकारी दी जावेगी।
11	मार्जिन मनी	बैंक से ऋण स्वीकृति एवं हितग्राही द्वारा जमा की गयी मार्जिन मनी राशि प्राप्त होने की सूचना प्राप्त होने पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप मार्जिन मनी की राशि बैंक को 10 कार्यदिवस में उपलब्ध कराई जावेगी।
12	**जिला स्तर पर समिति** **अ.** मार्जिन मनी अनुमोदन/ स्वीकृति हेतु अधिकृत समिति **ब.** समीक्षा हेतु समिति	**अ.** जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र स्तर पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना अंतर्गत गठित टास्कफोर्स समिति प्रकरण अनुमोदन हेतु अधिकृत होगी **ब.** यह समिति जिलों में योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु सतत् समीक्षा करेगी जिसमें बैंकों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा, सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना की समीक्षा/हितग्राहियों के समस्याओं के निराकरण हेतु मार्गदर्शन देना एवं समिति के विचारार्थ जो विषय प्रस्तुत होगें उन पर समुचित विचार कर निराकरण करेगी। 1 कलेक्टर — अध्यक्ष 2 जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक — सदस्य 3 तीन प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला — सदस्य 4 सेडमेप एवं एम.पी.कॉन– जिला प्रतिनिधि — सदस्य 5 एस.आई.एस.आई के प्रतिनिधि — सदस्य

क्र	योजना के बिन्दु	विवरण
		5 एस.आई.एस.आई के प्रतिनिधि सदस्य 6 जिला महिला बाल विकास अधिकारी सदस्य 7 जिला रोजगार अधिकारी सदस्य 8 पॉलिटेक्निक कालेज एवं आईटीआई के प्रतिनिधि सदस्य 9 महाप्रबंधक सदस्य सचिव टीप– आवश्यक होने पर कलेक्टर किसी भी विभाग/संस्था/बैंक के अधिकारी/प्रतिनिधि को समिति की बैठक में बुला सकेंगे।
13.	प्रशिक्षण	योजना अन्तर्गत मार्जिन मनी स्वीकृति के पश्चात हितग्राही को 10–15 दिवस प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र या सेडमेप या एमपीकॉन द्वारा दिया जाएगा। योजनान्तर्गत एक साथ पर्याप्त संख्या में हितग्राही उपलब्ध नही होने पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना अर्न्तगत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ हितग्राहीयों को प्रशिक्षण दिलाया जा सकेगा। उद्यमिता विकास कार्यक्रम में पूर्व प्रशिक्षित हितग्राही को इस योजना अन्तर्गत पृथक से प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्कता नहीं होगी।
14.	बजट प्रावधान	योजनान्तर्गत बजट प्रावधान में से न्यूनतम 90 प्रतिशत राशि मार्जिन मनी हेतु उपयोग की जावेगी, शेष राशि अधिकतम 10 प्रतिशत में से योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिविर संगोष्ठि एवं आकस्मिक व्यय आदि में उपयोग की जा सकेगी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के प्रशिक्षण संबंधी व्यय प्रधानमंत्री रोजगार योजनांतर्गत प्रशिक्षण मद में ही वहन होगा।
15	मार्जिन मनी का वितरण एवं समायोजन	योजना अन्तर्गत प्रदत्त मार्जिन मनी की राशि स्वीकृत परियोजना अनुसार बैंक ऋण वितरण एवं हितग्राही के अंश की मार्जिन मनी राशि जमा करने के पश्चात ही अनुदान के रूप में समायोजित हो सकेगी। यदि हितग्राही के अंश की जमा की गयी मार्जिन मनी राशि शासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी मार्जिन मनी राशि के 50 प्रतिशत से कम हुई तो उसी अनुपात में शासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी मार्जिन मनी राशि समायोजित हो सकेगी।
16	विविध	1. जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रत्येक माह प्रेषित, स्वीकृत, मार्जिन मनी से स्वरोजगार प्रारंभ इकाईयों की समीक्षा आवश्यक रूप से की जावेगी। 2. योजनांतर्गत भागीदारी के प्रकरणों पर भी विचार किया जा सकता है परंतु भागीदारी एक ही परिवार के सदस्यों के बीच मान्य नहीं होगी 3. अन्य किसी योजना (जैसे खादी ग्रामोद्योग की मार्जिन राशि योजना) से मार्जिन मनी सहायता का लाभ प्राप्त कर चुके/ कर रहे हितग्राही इस योजना में लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। 4. प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के केवल रु. 1.00 लाख से अधिक के ऋण स्वीकृति पर ही इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा परन्तु प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान व इस योजनांतर्गत प्रदत्त मार्जिन मनी सहायता हितग्राही द्वारा लगाई जा रही है, मार्जिन मनी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। 5. औद्योगिक इकाई को उद्योग विभाग से नियमानुसार

क्र	योजना के बिन्दु	विवरण
		अन्य सुविधायें भी (पात्रता होने पर) प्राप्त हो सकेगी। 6. लागत पूंजी अनुदान की पात्रता की स्थिति में कुल अनुदान राशि में से उपलब्ध कराई गयी मार्जिन मनी सहायता राशि को कम करने के पश्चात शेष राशि ही अनुदान के रूप में दी जावेगी। 7. बैंकों से आशय समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से है। 8. किसी बैंक का/उद्योग विभाग की देयताओं का डिफाल्टर होने की स्थिति में हितग्राही को योजनान्तर्गत पात्रता नहीं होगी। 9. बैंक द्वारा ऋण वितरण नहीं किए जाने की स्थिति में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा बैंक को उपलब्ध कराई गई मार्जिन मनी की राशि अन्य हितग्राही के लिए उपलब्ध कराई जा सकेगी। 10. गलत/भ्रामक जानकारी अथवा गलत तरीके से मार्जिन मनी प्राप्त करने पर हितग्राही से समस्त राशि 10 प्रतिशत दाण्डिक ब्याज सहित वसूल की जावेगी। 11 योजना अंतर्गत मार्जिन मनी सहायता प्राप्त उद्यम का निरीक्षण जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। मार्जिन मनी राशि के दुरूपयोग पाये जाने की स्थिति में भू–राजस्व की बकाया की तहत मार्जिन मनी राशि वसूल की जा सकेगी तथा विधि सम्मत अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। 12. योजना की व्याख्या/संशोधन हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग सक्षम होगा। 13. जिला स्तरीय समिति से प्राप्त प्रकरण संदर्भ राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी में समीक्षा हेतु रखे जाएंगे।

दीनदयाल रोजगार योजना हेतु आवेदन सहशपथपत्र

फोटो

1 आवेदक का पूरा नाम
2 पिता/पति का नाम
3 अ. निवास स्थान का पता एवं दूरभाष क्रमांक
ब. पत्राचार का पूरा पता एवं दूरभाष क्रमांक
4 शैक्षणिक योग्यता
(प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
5 अ. जन्म तारीख
ब. आवेदन दिनांक को उम्र
6 आवेदक का वर्गअ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी./अल्पसंख्यक/सामान्य
7 रोजगार कार्यालय पंजीयन क्रमांक
8 मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करें
9 çLrkfor m|ksx] lsok] O;olk; dk uke
(परियोजना प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करना है)
10 (अ) आवश्यक प्रस्तावित ऋण (ब) आवष्यक मार्जिन मनी राषि
स्थाई कार्यशील अन्य स्वयं द्वारा योजनांर्तगत वांछित
11 गतिविधि के प्रस्तावित स्थल का पूर्ण पता
12 प्रस्तावित बैंक शाखा का नाम अ.
जहॉ हितग्राही अपना प्रकरण भेजना चाहता हो ब.
स.
13 उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो उसका विवरण
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
14 तकनीकी अनुभव (यदि कोई हो)
15 पूर्व में शासन की किसी योजना का लाभ लिया हो तो उसका पूर्ण विवरण।
16 शासन की किसी अन्य योजना से भी लाभ प्राप्त किया जा रहा हो तो उसका विवरण।

आवेदक का नाम एवं
हस्ताक्षर

मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण बिन्दु 1 से 16 तक सत्य है और मेरे द्वारा कोई संगत तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आवेदक का नाम एवं
हस्ताक्षर

बिन्दु क्रमांक 12.6 :– रानी दुर्गावती अनु0जाति/जनजाति स्वरोजगार योजना :–

रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना
(वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के –क्रमांक F6-8/2003/11-अ
दिनांक 28 फरवरी, 2003 द्वारा प्रसारित)

राज्य शासन अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से उत्थान करने के लिए कृत संकल्पित है। इसी अनुक्रम में भोपाल घोषणा पत्र में उल्लेखित महत्वपूर्ण अनुशंसा जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को सफल उद्यमियों के रूप में विकसित करने से संबंधित है, को अमलीजामा पहनाने के उद्देश्य से इस वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए निम्नानुसार योजना है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष कम से कम 5000 अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के माध्यम से उद्यमी के रूप में विकसित कर अपने उद्योग अथवा व्यवसाय स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार आगामी 5 वर्षों में 250000 अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से निम्न स्वरूप/प्रकार का होगा :–

1. योजना का नाम – रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना
2. योजना का प्रारंभ – यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल, 2003 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी।
3. योजना का उद्देश्य – अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के रूप में उद्योग/व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से सहायता उपलब्ध कराना जिसमें उद्यम के चयन से लेकर प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, विपणन, स्थापना आदि सभी चरणों में सहायता व सघन अनुश्रवण भी सम्मिलित है।
4. पात्रता – इस योजना के अन्तर्गत राज्य की अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे जो :–
   - मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
   - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो। (राजस्व अनुभाग स्तर के अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र हो)
   - उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष हो।
   - किसी शासकीय/मानयता प्रापत विद्यालय से कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो।
5. प्राथमिकता – निम्न श्रेणी के आवेदकों को प्राथमिकता रहेगी :–
   अ राज्य शासन का बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले तथा/अथवा
   ब तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग की ''बहुउद्देश्यीय इंजीनियर'' योजनान्तर्गत प्रशिक्षित।
6. महिला आवेदन कर्ता – इस वर्ग की महिला उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जावेगा।
7. पात्र गतिविधियाँ – उद्योग/सेवा/व्यवसाय से संबंधित समस्त गतिविधियाँ।
8. आवेदन प्रक्रिया – इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र ''परिशिष्ट एक'' में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से आवेदन–पत्र निःशुल्क वितरित किए जाने की व्यवस्था रहेगी।
9. आवेदन पंजीबद्ध करना – सभी प्राप्त आवेदन पत्रों को एक पृथक पंजी में पंजीबद्ध किया जावेगा तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में इन आवेदनों का परीक्षण किया जावेगा। पात्र आवेदनों में चयन की अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।
10. पात्र आवेदकों को सूचना – पात्र आवेदकों को चयन की अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्र द्वारा

संसूचना भेजी जावेगी। ऐसे आवेदकों की सूची कार्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जावेगी। उक्त संसूचना में आवेदकों को निर्धारित दिनांक को परामर्श तथा चयन समिति द्वारा साक्षात्कार संबंधी विवरण होगा।

11. परामर्श – चयन समिति की बैठक के पूर्व उसी दिन आवेदकों को जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द द्वारा/अथवा सेडमेप एवं अन्य विशेषज्ञों द्वारा स्वरोजगार/उद्यम स्थापना हेतु मार्गदर्शन के रूप में परामर्श दिया जावेगा जिससे आवेदक चयन समिति के अपने योजना के संबंध में प्रभावी प्रस्तुतीकरण कर सकें।

12. चयन प्रक्रिया – आवेदकों का चयन 'प्रथम आओ, प्रथम पाओ' के आधार पर किया जावेगा। सभी आवेदन सूचीबद्ध किये जावेंगे। आवेदकों का चयन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जावेगा। इस समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे –

1. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उघोग केन्द्र – अध्यक्ष
2. जिला रोजगार अधिकारी – सदस्य
3. जिला अग्रणी बैंक के प्रतिनिधि – सदस्य
4. बैंकों के प्रतिनिधि – सदस्य
5. आदिवासी वित्त विकास निगम के जिला प्रतिनिधि – सदस्य
6. मध्यप्रदेश सहकारी अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम के जिला प्रतिनिधि – सदस्य
7. जिला समन्वयक, उद्यमिता, विकास केन्द – सदस्य
8. जिला ग्रामोद्योग अधिकारी – सदस्य
9. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण – सदस्य
10. प्रबंधक, स्वरोजगार जिला व्यापार एवं उघोग केन्द्र – सदस्य सचिव

टीप : लघु उद्योग सेवा संस्थान, लघु उद्योग निगम, म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन जैसी विशेषज्ञ संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जा सकेगा। चयन समिति की बैठक प्रत्येक माह की 5 तथा 20 तारीख (अवकाश होने की दशा में अगले कार्य दिवस को) निश्चित रूप से आयोजित की जावे। बैठक के लिए फोरम का कोई बंधन नहीं होगा तथा प्रकरणों में उसी दिन (बैठक के दिन) निर्णय लिया जाना आवश्यक होगा। बैठक सामान्यतः जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्यालय में आयोजित की जावे, परन्तु आवश्यकतानुसार विकास खण्ड/तहसील/बैंक अथवा अन्य स्थान पर भी आयोजित की जा सकेगी। चयन होने के पन्द्रह दिवस के अन्दर जिला रोजगार उप समिति के समक्ष चयनित आवेदकों की सूची प्रस्तुत किया जाना होगा ।

13. जिला स्तरीय समिति के दायित्व –

1. साक्षात्कार के माध्यम से प्रथमतः आवेदक के उद्यम का प्राथमिक चयन।
2. चयनित आवेदक को यदि प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो तद्नुसार सामान्य/तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा उसका अनुश्रवण।
3. यदि आवेदक को प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है तो उसके उद्यम की सहायता हेतु पहल।
4. क्रमांक 2 में उल्लेखित आवेदक यदि प्रशिक्षण के दौरान चिन्हित उद्यम में यदि परिवर्तन चाहता है तो आवश्यक सहायता।

5. आवश्यकतानुसार तकनीकी/विपणन/वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सहयोग देना।
6. रु. 5000/– तक मार्जिन मनी स्वीकृत करना।
7. हितग्राही से निरन्तर संपर्क बनाये रखना।

14. अनुमोदन – चयन समिति द्वारा अनुशंसित नामों की सूची का अनुमोदन जिला योजना समिति की जिला रोजगार उप समिति से लिया जावेगा। सूची प्रस्तुत होने के अधिकतम 15 दिन के अन्दर सूची का अनुमोदन उप समिति द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

15. सहायता तथा अनुश्रवण के लिए अभिभावक की नियुक्ति – चयनित प्रत्येक हितग्राही के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा विभाग के प्रबंधक/सहायक प्रबंधक को सहायता देने के लिए अभिभावक के रूप में नियुक्त किया जावेगा। जो प्रारंभ से ही समन्वय स्थापित कर आवेदन पत्र पूर्ण करने, प्रकरण वित्तीय संस्था को भेजने, वित्तीय संस्था से ऋण स्वीकृति एवं वितरण हेतु पूर्ण सहयोग रखेगा तथा प्रशिक्षण के समय भी पूर्ण संपर्क में रहेगा। अभिभावक उद्यम स्थापना के 2 वर्ष तक हितग्राही के संपर्क में रहकर मानिटरिंग करेगा एवं आवश्यकता होने पर समय समय पर अन्य आवश्यक सहायता/मार्गदर्शन देगा तथा इस संबंध में जिला स्तरीय चयन समिति को अवगत कराता रहेगा।

16. अभिभावक का दायित्व –

अ. (i) ऐसे हितग्राही जिनके संबंध में जिलास्तरीय चयन समिति ने यह पाया कि उन्हें किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, महाप्रबंधक द्वारा ऐसे प्रकरणों में तत्काल अभिभावक की नियुक्ति की जाकर उद्यम स्थापना की कार्यवाही प्रारंभ करवाये।

(ii) अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वह हितग्राही की इकाई स्थापना हेतु आवश्यक व्यवस्था जुटाने में सतत परामर्श एवं सहायता दे, ऋण प्रकरणों को तैयार कराने, बैंक से हितग्राही का संपर्क कराने, ऋण स्वीकृत कराने, ऋण वितरण कराने जैसी सभी गतिविधियों में हितग्राही के साथ सक्रिय रूप में सम्मिलित रहे तथा हितग्राही को स्वरोजगार इकाई की स्थापना में आने वाली सभी कठिनाईयों के निराकरण में मदद करें।

ब. (i) ऐसे हितग्राही जिनका चयन प्रशिक्षण हेतु किया गया है, प्रकरणों में भी महाप्रबंधक द्वारा तत्काल ही किसी भी स्थिति में प्रशिक्षण प्रारंभ होने के पूर्व अभिभावक की नियुक्ति की जावेगी।

(ii) अभिभावक का यह दायित्व होगा कि संपूर्ण प्रशिक्षण अवधि में हितग्राही के सतत संपर्क में रहे तथा प्रशिक्षण के दौरान भी स्वरोजगार की स्थापना हेतु आवश्यक परामर्श/सहायता दें।

(iii) अभिभावक तथा प्रशिक्षण संस्था का यह दायित्व होगा कि वे हितग्राही के ऋण प्रकरण को प्रशिक्षण के दौरान ही तैयार करा कर संबंधित वित्तीय संस्था से ऋण स्वीकृत तथा वितरण कराने का प्रयास करें।

17. प्रशिक्षण – प्रशिक्षण कार्यक्रम 4 सप्ताह का होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के

प्रत्येक बैच में 20 से 40 प्रशिक्षणार्थियों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जावेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रमुखतः निम्नानुसार जानकारी दी जावेगी एवं कार्यवाही की जावेगी –

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यतः विभिन्न विभागों की स्वरोजगार एवं आर्थिक सहायता आदि से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी जावेगी।
2. लेखा जोखा, लाभ हानि आदि के संबंध में जानकारी।
3. प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने, बाजार सर्वेक्षण, कच्चामाल आदि के संबंध में।
4. आवेदकों की चयनित उद्यम की स्थापना के लिए आवेदन पत्र तैयार करवाना, संबंधित संस्था को प्रेषित करना तथा समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कराना।
5. विभिन्न विभागों की अनुमति, सम्मति, पंजीयन, अनुज्ञप्ति आदि की आवेदन पत्र एवं प्रक्रियाओं की जानकारी दी जावेगी।
6. वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया, औपचारिकताएँ एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
7. चयनित गतिविधि अथवा उससे संबंधित गतिविधि का व्यवहारिक प्रशिक्षण।
8. क्षेत्रीय भ्रमण।

18. प्रशिक्षण–व्यय – प्रशिक्षण का क्रियान्वयन चयन प्रति प्रशिणार्थी रुपये 2000/– तक परिसीमित होगा। प्रशिक्षण का व्यय प्रशिक्षण हेतु भवन/स्थान का किराया, प्रशिक्षणार्थियों को पाठ्य सामग्री/लेखन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षक को मानदेय, आहार एवं आकस्मिक/विविध व्यय पर किया जा सकेगा। प्रशिक्षण का व्यय शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

19. प्रशिक्षण हेतु संस्थाएँ – प्रशिक्षण का दायित्व उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेष (सेडमेप) को दिया जावेगा। आवश्यकतानुसार उद्योग आयुक्त से अनुमति के पश्चात अन्य संस्थाओं को भी प्रशिक्षण हेतु दायित्व दिया जा सकेगा।

20. मार्जिन मनी – स्वयं का उद्योग, सेवा, व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। हितग्राहियों को ऋण प्राप्त करने के लिए स्वयं के स्तर से मार्जिन मनी लगानी पड़ती है किन्तु जो हितग्राही मार्जिन मनी लगाने की स्थिति में नहीं रहता है उसे ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है अतः इस योजनान्तर्गत चयनित हितग्राही को निम्नानुसार उसके उद्यम की आवश्यकता को देखते हुए मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध कराई जावेगी, यह सहायता अनुदान के रूप में होगी –

- रु. 50000/– (पचास हजार) मार्जिन मनी की आवश्यकता के प्रकरणों में स्वीकृति जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जा सकेगी।
- रु. 50000/– (पचास हजार) से अधिक की मार्जिन मनी के प्रकरणों में स्वीकृति जिला योजना समिति द्वारा की जा सकेगी।

मार्जिन मनी की राशि किसी स्थिति में स्वीकृत परियोजना लागत के 33 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

- वित्तीय संस्था द्वारा हितग्राही के प्रकरण में प्रावधिक स्वीकृति आदेश/संसूचना के साथ उपरोक्तानुसार मार्जिन मनी की माँग जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से की जायेगी।

21. उद्यम की स्थापना –

अ. आदर्श स्थिति में प्रशिक्षण पूर्ण होने तक ऋण स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही हो जानी चाहिए जिसस प्रशिक्षण प्राप्ति के पश्चात 20 कार्य दिवस की अवधि में प्रशिक्षार्थी का उद्यम स्थापित हो सके।
किसी भी परिस्थिति में यह अवधि प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात 90 कार्य दिवस से अधिक की नहीं होगी।

ब. ऐसे प्रकरणों में जिनमें प्रशिक्षण की आवश्यकता नही थी, चयन होने के दिनांक से अधिकतम 90 कार्य दिवस की अवधि में उद्यम स्थापित होना सुनिश्चित किया जावेगा।

स. ऋण प्रकरण प्रेषित करने के पश्चात 2 माह की अवधि में ऋण वितरित नहीं किए जाने की दशा में संबंधित अभिभावक प्रकरण की वस्तुस्थिति से महाप्रबंधक को अवगत करायेगा। महाप्रबंधक ऐसी स्थिति की जानकारी प्राप्त होने की 15 कार्य दिवस की अवधि में ऋण के वितरण हेतु सघन प्रयास करेंगे।

द. उपरोक्तानुसार प्रयास के बाद भी वित्तीय संस्था द्वारा ऋण वितरण नहीं किया जाता है तो प्रकरण जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

ई. संबंधित कलेक्टर ऐसे प्रकरणों में व्यक्तिगत रूप से एल.डी.एम. एवं संबंधित बैंक के जिला समन्वयक से बैठक कर कार्यवाही करते हुए आगामी 15 कार्य दिवस में ऋण वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करवायेंगे।

फ. उपरोक्तानुसार समय सीमा में प्रत्येक स्तर पर आवश्यक तथा सघन अनुश्रवण के बाद भी यदि किसी वित्तीय संस्था द्वारा ऋण वितरण नहीं किया जाता है तो संबंधित कलेक्टर ऐसे प्रकरणों की जानकारी उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे जो बैंक के वरिष्ठतम स्तर से एस.एल.बी.सी. के माध्यम से प्रकरण में कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

22. समीक्षा एवं अनुश्रवण – योजना के क्रियान्वयन की सतत् समीक्षा तथा हितग्राहियों के सफल स्थापित होने की प्रक्रिया में अनुश्रवण का दायित्व निम्न पर होगा –

1. अभिभावक
2. प्रशिक्षण देने वाली संस्था
3. जिला स्तरीय चयन समिति
4. जिला रोजगार उप समिति

23. विविध –

1. पैरा 16 में उल्लेखित अ तथा ब श्रेणी के हितग्राही यदि किसी भी राज्य/केन्द्र शासन की प्रचलित स्वरोजगार/ऋण योजना इत्यादि में पात्रता रखते हैं तो संबंधित हितग्राही को उक्त योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर वित्त पोषित किया जावे।

ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत लाभ दिलाया जाना बंधनकारी होगा।

2. ऐसे हितग्राही उक्त योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध विभिन्न वित्तीय सुविधाओं जैसे अनुदान आदि के पात्र होंगे।

3. ऐसे सभी हितग्राही जिन्होंने स्वरोजगार इकाई के रूप में किसी उद्योग/सेवा इकाई की स्थापना की है, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रचलित ब्याज अनुदान योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत ब्याज अनुदान भी प्राप्त कर सकेंगे।

4. ऐसे हितग्राहियों जिनका वित्त पोषण केन्द्र/राज्य शासन के किसी प्रचलित योजनांतर्गत किया गया हो, के प्रकरणों में प्रशिक्षण व्यय संबंधित योजना में प्रशिक्षण व्यय की सीमा अनुसार उक्त योजना से ही किया जावेगा।

5. योजनान्तर्गत प्रशिक्षण, मार्जिन मनी, ब्याज अनुदान आदि का व्यय बजट शीर्ष 41 तथा 64 से विकलनीय होगा।

6. इस योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे इस हेतु समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन के साथ–साथ जिले के विभिन्न स्थानों में जागरूकता शिविर आयोजित कर भी किया जावे।

7. इस योजना के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाही आदेश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त अधिकृत होंगे एवं योजनाओं में किसी भी प्रकार की व्याख्या अथवा संशोधन के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग सक्षम होगा।

8. गलत एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर कोई भी व्यक्ति योजना के अन्तर्गत यदि लाभ प्राप्त करता है तो उसे प्रदाय की गई समस्त राशि दाण्डिक ब्याज के साथ वसूल की जावेगी तथा विधि अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

परिशिष्ट – 1

रानी दुर्गावर्ती अनुसूचित जाति/जनजाति स्वरोजगार योजना
आवेदन – पत्र

1. आवेदक का नाम एवं पिता/पति का नाम
2. आवेदक का स्थाई पता एवं पत्राचार का पता
3. आवेदक का वर्ग (जाति)
   अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
   (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
4. शैक्षणिक योग्यता
5. बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हो रहा है या नहीं
6. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय
   (गरीबी रेखा की सूची में नाम है या नहीं)
7. आवेदक उद्यम/गतिविधि जिसमें इच्छुक है –
   (अ)
   (ब)
   (स)
8. उद्यम का प्रस्तावित स्थल
9. प्रशिक्षित है या नहीं

आवेदक के हस्ताक्षर

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
पावती

श्री ..... पिता/पति श्री .....
पता ..... दिनॉक ..... का रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना अन्तर्गत पूर्ण/अपूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

आवेदन पत्र में निम्न कमिया है :–

1. 2.
3. 4.

दिनॉक

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

बिन्दु क्रमांक 13 :– अनुदान/परमिट प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की सूची :–

(1) रानी दुर्गावती अनुसूचितजाति/जनजाति स्वरोजगार योजना

S.No.	Nature of concession	Name of Candidates	Address	Year	Kinds of support	Amount
1	मार्जिनमनी	श्री राकेश अहिरवार आ0 श्री सीताराम अहिरवार	तिली वार्ड सागर	2005–06	मार्जिनमनी सहायता	8500.00
2	––''––	श्री पुरषोत्तम कोरी आ0 श्री हरिकृष्ण कोरी	अम्बेडकर वार्डसागर	––''––	––''––	12500.00
3	––''––	कु0 सीमा आ0 श्री कन्छेदीलाल खटीक	केशवगंज वार्ड सागर	–''–	–''–	2500.00
4	––''––	आलोक कपूर लारिया आ0 श्री गोविंद प्रसाद लारिया	ग्राम रजाखेड़ी मकरोनिया सागर	–''–	–''–	109037.00

(2) दीनदयाल रोजगार योजना :–

S. No.	Nature of concession	Name of Candidates	Address	Year	Kinds of support	Amount
1	2	3	4	5	6	7
1	मार्जिनमनी	श्री निखिल सोनी	देवरीकलां	2005–06	मार्जिनमनी सहायता	4725.00
2	––''––	श्री संदीप चाचौदिया	मढ़पिपरिया पो0 सिमरिया देवरी	––''––	––''––	7500.00
3	––''––	श्री विनय शर्मा	केण्ट सागर	––''––	––''––	4500.00
4	––''––	श्री हनुमंत सिंह	ग्रा0पो0सिहौरा	––''––	––''––	5000.00
5	––''––	श्री विनय विश्वकर्मा	मोतीनगर वार्ड सागर	––''––	––''––	22887.00
6	––''––	श्री अशोकसिंह ठाकुर	ग्रा0पो0 भापेल	––''––	––''––	7500.00
7	––''––	श्री अंतिम कुमार जैन	मोतीनगर वार्ड सागर	––''––	––''––	34400.00
8	––''––	श्रीमति संगीता सोनी	लक्ष्मीपुरा वार्ड सागर	––''––	––''––	7500.00
9	––''––	श्री विनीत कुमार मिश्रा	मधुकरशाह वार्ड सागर	––''––	––''––	5000.00
10	––''––	श्री सुनील यादव	जैसीनगर	––''––	––''––	7500.00

(3) ब्याज अनुदान योजना :–

क्र.	इकाई का नाम एवं पता	वर्ष	स्वीकृत अनुदान	रिमार्क
1	मे0 गायत्री ब्रिक्स वर्क्स, ग्रा0पो0 केसली	2005–06	17,298.00	आवंटन उपलब्ध न होने के कारण वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
2	मे0सोनी स्टोन क्रेशर, ग्राम छेबला देवरी		8,777.00	––''––
3	मे0 समर्थ स्टोन क्रेशर ग्राम पो0 हीरापुर तह. बण्डा		19,662.00	––''––
4	मे0सोनी स्टोन क्रेशर, ग्राम छेबला देवरी		51,760.00	––''––
5	मे0 दाउद आफसेट प्रिटिंग प्रेस चकराघाट सागर		8,458.00	––''––
6	मे0 सागर पापड़ प्रोड0, ग्रा0 नयाखेड़ा सागर		24,429.00	––''––
7	मे0 जैन दाल मिल, नौगांव रूपउ बीना		63,164.00	––''––
8	मे0 जैन दाल मिल, नौगांव रूपउ बीना		62,597.00	––''––
9	मे0 मेघा प्लास्टिक इण्ड0,औद्योगिक संस्थान सुभाषनगर सागर		16,456.00	––''––
10	मे0 सीमा इण्डस्ट्रीज खुरई		38,089.00	––''––
11	मे0 अंजली कलर लेब,गुजराती बाजार सागर		12,791.00	––''––
12	मे0 दाउद आफसेट प्रिटिंग प्रेस चकराघाट सागर		4,394.00	––''––
13	मे0 गायत्री ब्रिक्स वर्क्स, ग्रा0पो0 केसली		1,803.00	––''––
	कुल योग		**3,29,678.00**	

(4) राज्य लागत पूंजी अनुदान योजनांतर्गत वर्ष 2005–06 में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ ।

(5) परियोजना प्रतिवेदन प्रतिपूर्ति योजनांतर्गत वर्ष 2005–06 में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ ।

(6) आदिवासी वित्त विकास निगम की नाबार्ड योजनांतर्गत वर्ष 2005–06 में कोई भौतिक एवं ि वत्तीय लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ ।

B - NORMS FOR SELECTION OF BENEFICIRIES (ORIGINAL TAX CIRCULAR TO BE GIVEN)

संलग्न तदनुसार

C- Detailed Information

S.no.	Name of the Programme	प्रशासकीय एवं स्पोन्सरिंग एजेन्सी	वर्ष	आवंटन	हितग्राहियों की सूची
1	2	3	4	5	6
1.	राज्य लागत पूंजी अनुदान	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,सागर	2005–06	निरंक	निरंक
2.	ब्याज अनुदान	———''———	2005–06	26000.00	निरंक
3.	परियोजना व्यय प्रतिपूर्ति	———''———	2005–06	निरंक	निरंक
4.	नाबार्ड योजना	आदिवासी वित्त विकास निगम एजेंसी महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,सागर	2005–06	निरंक	निरंक
5	रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,सागर	2005–06	निरंक	निरंक
6	दीनदयाल रोजगार योजना	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,सागर	2005–06	निरंक	निरंक

बिन्दु क्रमांक 14 :– कार्यालय की जानकारी जो इलेक्ट्रानिक्स रूप में उपलब्ध है :–
सागर जिले की औद्योगिक विकास की समीक्षा एवं संभावना की जानकारी

क्रमांक	विवरण	हार्डकापी	इलैक्ट्रानिक रूप
1	औद्योगिक संस्थानों/क्षेत्रों में प्लाट/शेडों की स्थिति	हां	हॉ
2	औद्योगिक क्षेत्र/ग्रोथ सेण्टरमें स्थापित इकाईवार स्थिति	हां	हां
3	स्थापित वृहद/मध्यम उद्योगों की स्थिति	हां	हां
4	औद्योगिक क्षेत्र/संस्थानों से बाहर स्थापित रू0 5.00 लाख सेअधिक पूंजीनिवेश वाली इकाईयों की स्थिति	हां	
5	आई0ई0एम0/एल0ओ0आई0/एफ0डी0आई0 की स्थिति	हां	हां
6	विगत तीन वर्षों में रोजगार मूलक योजनाओं की स्थिति	हां	हां
7	विगत तीन वर्षों में योजनावार प्लान/नानप्लान बजट की स्थिति	हां	हा
8	अधिकारी/कर्मचारियों की स्थिति	हां	हां
9	औद्योगिक संभावनाओं की स्थिति	हां	हां
10	योजनावार वसूली की स्थिति	हां	हां
11	निर्यातक इकाईयों की जानकारी	हां	हां
12	उद्योग मित्र योजना	हां	हां
13	औद्योगिक संघों की जानकारी	हां	हां
14	न्यायालयीन प्रकरण	हां	हां
15	लंबित पेन्शन प्रकरणों की सूची तथा स्थिति	हां	हां
16	विभागीय जांच/निलम्बन की स्थिति	हां	हां
17	विभिन्न अनुदान/रियायत योजनाओं की लंबित प्रकरणों की जानकारी	हां	हां

टीप :– उपरोक्त जानकारी विभागीय वेवसाइट में आम नागरिकों के लिए उपलब्ध है ।

बिन्दु कमांक –15 :– कार्यालय में जानकारी उपलब्ध कराने की सुविधाऍ :–

कार्यालय में नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए पृथक से सूचना कक्ष का गठन किया गया है । सूचना कक्ष द्वारा विभागीय जानकारियों जैसे उपलब्ध सुविधाऍ, अधोसंरचना, जिले में स्थापित उद्योग, संभावनायुक्त उद्योग, प्राकृतिक एवं जनसंसाधनों इत्यादि का संकलन कर उसे आम नागरिकों को परामर्श को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है । सूचना कक्ष प्रभारी द्वारा उद्यमियों को परामर्श मय विस्तृत विवरण के उपलब्ध कराया जाता है जिसमें तकनीकी, वित्तीय एवं बाजार की जानकारियॉ प्रमुख हैं ।

कार्यालय के प्रवेश द्वार से लगा हुआ कक्ष क्र0 4 को सूचना कक्ष का दर्जा दिया गया है, उसी कक्ष में पुस्तकालय भी स्थित है । पुस्तकालय में उद्योग,व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र के परियोजना प्रतिवेदन, प्रदेश एवं जिले के सांख्यिकी आंकड़ों की पुस्तकें, उद्यमिता संबंधी पुस्तिकाएं, जनरल साख एवं कार्ययोजना की पुस्तकें समाचार पत्र इत्यादि संकलित किये गये हैं । इन सभी को आम नागरिकजनों के लिए अध्ययन हेतु उपलब्ध है । सूचना कक्ष में आगंतुकों के लिये समुचित बैठक व्यवस्था की गई है । कार्यालय में सिटीजन चार्टर एवं विभागीय योजनाओं की संपूर्ण जानकारी प्रदर्शित की गई है ।

कार्यालय में पृथक से स्वरोजगार मार्गदर्शन प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है जिसमें आवेदकों को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं हेतु निःशुल्क परामर्श एवं मार्गदर्शन सुविधा उपलब्ध करायी जाती है ।

कार्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का प्रपत्र

क्र0	उपलब्ध सुविधा	प्रभारी अधिकारी का नाम	समयावधि	दूरभाष क्रमांक
1	सूचना कक्ष	श्री ए.के. जैन, प्रबंधक	कार्यालयीन समय प्रातः 10.30 बजे से 5.30 बजे तक	236675
2	पुस्तकालय	श्री ए.के. जैन, प्रबंधक	कार्यालयीन समय प्रातः 10.30 बजे से 5.30 बजे तक	236675
3	स्वरोजगार प्रकोष्ठ	सहायक प्रबंधक	कार्यालयीन समय प्रातः 11.00 बजे से 3.00 बजे तक	236675

बिन्दु क्रमांक 16 :– लोक सूचना अधिकारियों की जानकारी

कार्यालयीन समय प्रातः 10.30 बजे से 5.30 बजे तक	236675	कार्यालयीन समय प्रातः 10.30 बजे से 5.30 बजे तक	236675	कार्यालयीन समय प्रातः 10.30 बजे से 5.30 बजे तक	236675	कार्यालयीन समय प्रातः 10.30 बजे से 5.30 बजे तक
1	श्री ए.के. जैन	लोक सूचना अधिकारी	236675	हउपेंह/ उचदपबण्पद	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,सागर	प्रातः 10.30 से सायं 5. 30 बजे तक
2	श्री एस0आर0 राजपूत	सहायक लोक सूचना अधिकारी/सहा0प्रबंधक				
3	श्री ए0के0 खरे	लिंक अधिकारी/ सहायक प्रबंधक				

कार्यालय प्रमुख को प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

अधिकारी का नाम – श्री के0के0बख्शी
पदनाम – प्रथम अपीलीय अधिकारी/महाप्रबंधक
दूरभाष क्रमांक – 236675
ई–मेल पता – हउपेंह/ उचदपबण्पद
कार्यस्थल का पता – जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, तिली रोंड, सागर
नागरिकों से मिलने का समय – प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक

कार्यालय में सूचना कक्ष, पुस्तकालय एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की सुविधा नागरिकों को उपलब्ध कराई गई है जिसका पृथक से विस्तृत विवरण बिन्दु क्र0 ग्ट में दिया गया ।

बिन्दु क्रमांक 17 :– ऐसी सभी जानकारियां/सूचनाएँ जो विहित की गई हैं को निरंतर अद्यतन किया जावेगा ।

आम नागरिकों की सुविधाओं से संबंधित अन्य विभागीय जानकारी निम्नानुसार है :–

1. <u>सिंगल एजेंसी क्लीयरेन्स सिस्टम</u> :–

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के औद्योगीकरण को द्रुत गति प्रदाने करने हेतु वर्ष 2001 में सिंगल एजेन्सी क्लीयरेन्स सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें शासन के विभिन्न विभागों के नियमों/अधिनियमों में संशोधन करके महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अधिकार प्रत्यायोजित किए गये हैं जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0	विभाग/संबंधित अधिनियम/नियम	प्रत्यायोजन उपरांत प्रावधान
1.	**आवास तथा पर्यावरण विभाग** – नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 29 एवं 30	धारा 29 एवं 30 के तहत विकास अनुज्ञा जारी करने के लिए महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अधिकृत किया गया है ।
2	**राजस्व विभाग** – म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता धारा 146 एवं 147	धारा 146 एवं 147 के तहत भू–राजस्व वसूली की शक्तियॉ, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रदान की गई हैं ।
3.	**नगरीय प्रशासन एवं विकास निगम** – म0 प्र0 नगरपालिक अधिनियम 1956 की धारा 293 से 301 म0 प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187	यदि संबंधित नगर निकाय द्वारा इन धाराओं के अंतर्गत भवन निर्माण की अनुमति एक माह के भीतर सूचना पत्र जारी नहीं किया जाए तो डीम्ड अनुमति हेतु महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अधिकृत किया गया है ।
4.	**पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग** – म0 प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 55	यदि संबंधित ग्राम निकाय द्वारा धारा 55 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने के 45 दिवस के अन्दर भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जाती है तो डीम्ड अनुमति हेतु महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अधिकृत किया गया है ।
5.	**उर्जा विभाग** – म0 प्र0 विद्युत प्रदाय अधिनियम 1984 की धारा 44	नवीन प्रावधान अनुसार निम्न दाब वो उपभोक्ताओं को 150 एच0 पी0 तथा उच्च दाब वाले उपभोक्ताओं को 2000 के0व्ही0ए0 तक विद्युत भार स्वीकृत करने की शक्तियॉ महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को पद्रान की गई है ।
6.	**श्रम विभाग** –कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6	नवीन प्रावधान अनुसार धारा 06 के तहत कार्यवाही हेतु महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को शक्तियॉ प्रदान की गई हैं ।
7.	**वाणिज्यिक कर विभाग** – म0 प्र0 वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 की धारा 22,23,24 एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 की धारा – 07	नवीन प्रावधान अनुसार धारा 22,23,24 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी नियुक्त किया गया है ।
8.	**गृह विभाग** – म0 प्र0 लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम 1974 की धारा –03	नवीन प्रावधान अनुसार लोक परिसर से बेदखली हेतु निर्देशित करने की शक्तियॉ धारा–03 के तहत महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रदान

		की गई हैं ।
9.	**वाणिज्य एवं उद्योग विभाग** – भारतीय बायलर अधिनियम 1923 की धारा 34(3)	नवीन प्रावधान अनुसार अधिनियम की धारा 34(3) के अंतर्गत उन समस्त बायलरों को इस नियम के बंधनों से अपवर्जित करने हेतु, जिनका हीटिंग सरफेस एरिया 100 वर्गमीटर या उससे कम हो, के अधिकार, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रदान किये गये हैं ।

(2) <u>एस्कॉर्ट प्रणाली</u> :–

विभाग द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में रूपये 5.00 लाख से अधिक पूंजी निवेश करने वाली प्रस्तावित लघु उद्योग इकाईयों को एस्कॉर्ट सुविधा प्रदान की जा रही है । ऐसी प्रत्येक प्रस्तावित इकाई हेतु पृथक से मैदानी अधिकारी को नामांकित किया जाता है जो इकाई को प्रारंभिक अवस्था से उत्पादन तक की स्थिति में सहायता/मार्गदर्शन प्रदान करता है एवं इकाई स्थापना में आ रही विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु विभिन्न संबंधित एजेन्सी से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहायता प्रदान करता है ।

(3) <u>विशेष पंजीयन योजना 2003</u> :–

शासन द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों/विक्रेताओं/संस्थानों तथा उत्पादकों को विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा क्रय में कम से कम 30 : की सीमा तक प्राथमिकता प्राप्त हो सकेगी ।

कार्यालय द्वारा इस हेतु पृथक से पंजीयन किया जाता है । पंजीयन उपरांत उपरोक्त वर्ग के हितग्राही इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।

(4) <u>विपणन सुविधा</u> :–

कार्यालय द्वारा म0 प्र0 लघु उद्योग निगम के माध्यम से पंजीकृत लघु उद्योग इकाईयों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । कार्यालय राज्य एवं जिला स्तरीय मेला/प्रदर्शनियों में भी औद्योगिक इकाइयों के उत्पाद केप्रदर्शन में आवश्यक सहयोग एवं सहायता प्रदान करता है ।

(5) <u>कच्चामाल अनुशंसा/सुविधा</u> :–

कार्यालय द्वारा लघु उद्योग इकाइयों को उनके उत्पादन कार्य में आने वाले कच्चेमाल प्रदान करने की अनुशंसा एवं सुविधा उपलब्ध कराई जाती है जिसमें कोयला प्रमुख है

(6) <u>उद्यमिता विकास प्रशिक्षण सुविधा</u> :–

कार्यालय द्वारा संभावित एवं इच्छुक उद्यमियों को म0 प्र0 उद्यमिता विकास केन्द्र, म0 प्र0 कन्सलटेंसी आर्गेनाइजेशन लिमि0 एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाती है जिसमें सामान्य एवं कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्मिलित हैं ।

महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
सागर (म0 प्र0)
दूरभाष क्र0 236675